अध्याय III

कारण बताओ नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

जब विभाग निर्धारिती के प्रतिकूल कार्रवाई पर विचार करता है, तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए एससीएन जारी किया जाता है। उन मामलों में एससीएन, अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) के तहत सामान्य मामलों में प्रासंगिक तिथि से दो साल के भीतर (13 मई 2016 तक एक वर्ष के भीतर) जारी किया जाएगा है जहां सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया हो या कम भुगतान किया हो या त्रुटि पूर्ण प्रतिदाय दिया गया हो। हालांकि, शुल्क के भुगतान से बचने या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने के इरादे से वादविवाद, जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करना या तथ्यों को छिपाने के मामले में, एससीएन को सुसंगत तिथि से पांच साल के भीतर अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत जारी किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, सेज़ के मामले में, डीसी, सेज़ नियमावली 2006 के नियम 25 के तहत एससीएन जारी करेगा, यदि निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की प्राप्त आय तीसरे वर्ष के अंत तक नकारात्मक रहती है और यदि नकारात्मक प्रदर्शन पांचवें वर्ष तक जारी रहता है तो एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के तहत जारी करेगा । हालाकि, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में एससीएन जारी करने और उसके अधिनिर्णयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

3.1.1 एससीएन का अधिनिर्णयन

अधिनियम की धारा 28 (1) या 28 (4) के तहत एससीएन जारी करने के बाद अधिनिर्णयन होता है जो अधिनियम के तहत सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का अर्ध-न्यायिक कार्य है। यदि अधिनियम की धारा 122ए के तहत इच्छा व्यक्त करता है तो नोटिस प्राप्त कर्ता को कार्यवाही में सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। अधिनिर्णयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक लिखित ओआईओ जारी होगा, जिसमें मामले के तथ्यों का ब्यौरा और अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिनिर्णयन आदेश का औचित्य दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 28 (9) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां ऐसा करना संभव हो, वहां व्यक्ति को नोटिस दिए जाने की तारीख से सामान्य मामलों में छह महीने के भीतर और विस्तारित मामलों में एक वर्ष के भीतर

एससीएन का अधिनिर्णयन हो जाना चाहिए। "जहां कही ऐसा करना संभव हो" शब्दों को वित्त अधिनियम, 2018 दिनांक 29 मार्च 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, आरए को भी एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 13 और 14 के तहत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश या एफटीपी के उल्लंघन के लिए किसी शास्ति के उद्ग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

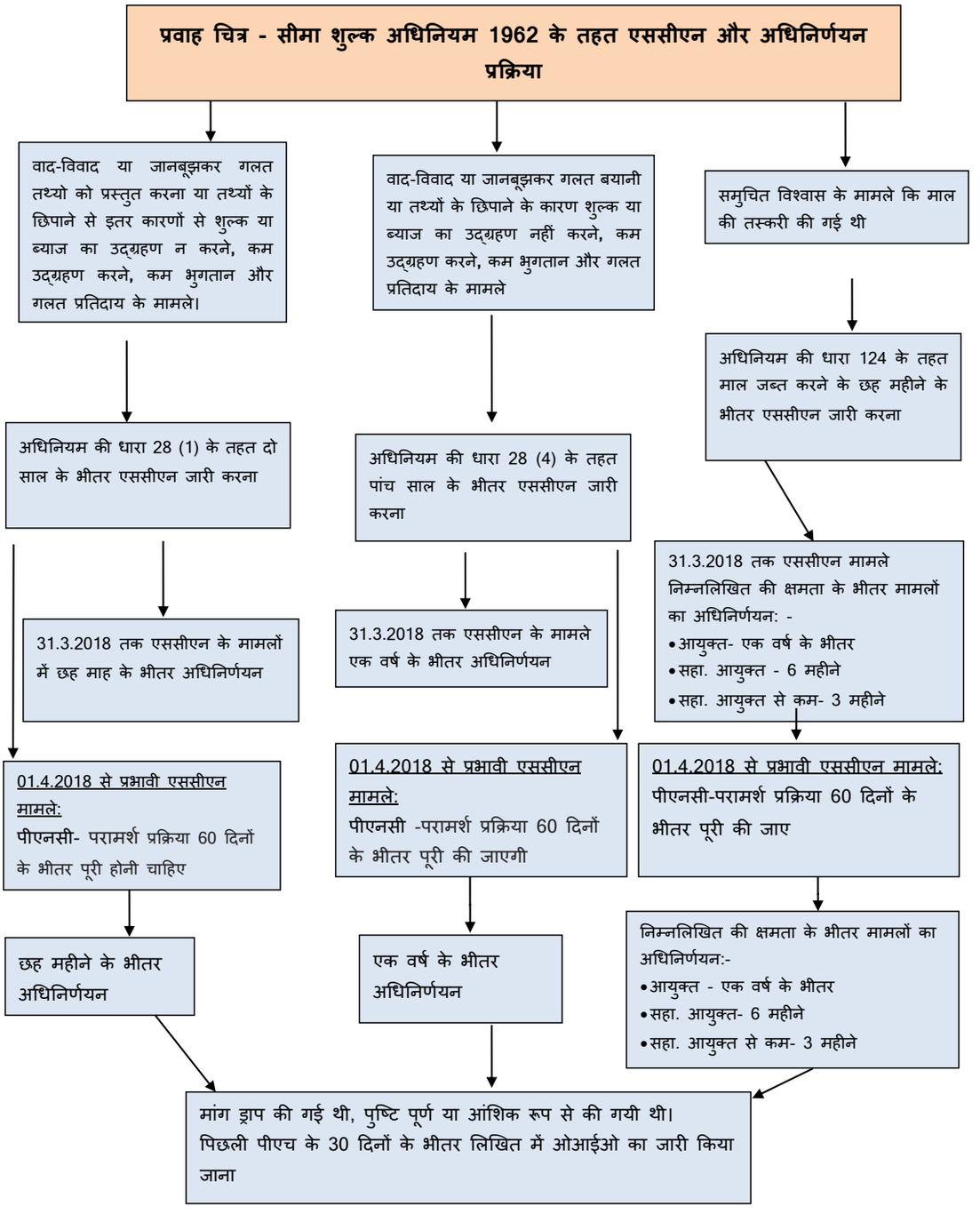

एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक अनुदेशों को **अनुबंध 3** में दिया गया हैं ।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर एक एसएससीए यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया गया है कि:

(i) एससीएन जारी करना और अधिनिर्णयन निर्धारित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, परिपत्रों/अनुदेशों और क्रियाविधियों के अनुसार है;

(ii) एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और तंत्र मौजूद हैं।

3.3 लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र और कार्यक्षेत्र

एसएससीए अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 से 2018-19 के दौरान जारी एससीएन और पारित ओआईओ तथा 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की जांच की। एससीएन की अधिनिर्णयन प्रक्रिया के अलावा कॉल बुक में लंबित एससीएन, विभिन्न रजिस्टरों के रखरखाव नामत: एससीएन रजिस्टर, ओआईओ रजिस्टर आदि की भी जांच की गई।

एसएससीए का संचालन सीमा शुल्क आयुक्तालय, आरए और डीसी-सेज़ जैसी चयनित इकाइयों में अभिलेखों की जांच मामलों के अधिकतम विलबंन और अधिनिर्णयन में देरी के आधार पर किया गया था। इन नमूना इकाइयों में 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णीत मामलों और अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन का चयन यादृच्छिक नमूने के माध्यम से किया गया।

लेखापरीक्षा संसृति और नमूना चयन और इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों **(अनुबंध 4)** में चयनित मामलों के संबंध में प्रस्तुत किए गए/ प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.1: नमूना चयन

लेखापरीक्षणीय इकाई	इकाइयों की कुल सं.	चयनित इकाईयां	चयनित इकाइयों में कुल मामले	लेखापरीक्षा द्वारा चयनित मामले	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए मामले	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामले
सीमा शुल्क आयुक्तालय	70	25	21,932	4,222	3,520	702
क्षेत्रीय प्राधिकरण (डीजीएफटी)	25	12	10,358	824	811	13
विकास आयुक्त (सेज़)	08	08	414	210	210	0
कुल	**103**	**45**	**32,704**	**5,256**	**4,541**	**715**

3.3.1 अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

एससीएन के जारी करने अधिनिर्णय और अधिनिर्णयन प्रक्रिया की निगरानी में सीमा शुल्क नियमों और विनियमों के लागू करने के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए कुल 32,704 मामलों में से 5,256 मामलों (16 प्रतिशत) का चयन किया गया था, ताकि लंबित और साथ ही 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णयन किए गए मामलों की नमूना जांच की जा सके। कुल 5,256 चयनित मामलों में से केवल 4,541 मामले (86.39 प्रतिशत) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। आठों डीसी ने मांगे गए सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। चयनित 25 में से 12 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[7] और चयनित 12 आरए में से 02 आरए[8] ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए जानकारी प्रदान की थी, जैसाकि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए 715 मामलों में से 220 मामलें, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर से संबंधित हैं जिन्होंने उस आयुक्तालय में चयनित 255 मामलों में से इन 220 मामलों को प्रस्तुत नहीं किया। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), अहमदाबाद (नवंबर 2019) ने सीमा शुल्क

[7]सीमा शुल्क आयुक्तालय -बेंगलुरु, कोचीन सागर, जेएनसीएच मुंबई एनएस-1, एनएस-2, एनएस-3 और एनएस-वी, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्रीवि)) जोधपुर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्रीवी))- लखनऊ और पटना, सीमा शुल्क आयुक्तालय, नोएडा, आयात आयुक्तालय, एनसीएच, नई दिल्ली, निर्यात आयुक्तालय, एनसीएच, नई दिल्ली

[8]सीएलए दिल्ली, आरए बेंगलुरू

आयुक्तालय, जोधपुर और सी.ए.जी मुख्यालय ने इस मामले को डीओआर के संज्ञान में भी लाया गया (दिसंबर 2019)। तथापि, मांगे गए रिकॉर्ड और जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर में एससीएन/अधिनिर्णयन मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत मामलों (86 प्रतिशत) के सत्यापन के आधार पर की गयी लेखापरीक्षा से निकलने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफ में वर्णित किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने एससीएन के जारी होने में कमियाँ (पैराग्राफ 3.4.1), प्रक्रिया और क्रियाविधियों में कमियाँ जिससे अधिनिर्णयन हुआ (पैराग्राफ 3.4.2), अधिनिर्णयन और पुन:विचार आदेशों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव और निगरानी और आंतरिक नियंत्रणों में कमी (पैराग्राफ 3.4.4) पाई। ₹10,649 करोड़ के मौद्रिक मूल्य की कुल 141 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई।

एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ अगले पृष्ठ पर तालिका 3.2 में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 3.2: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की श्रेणी	अभ्युक्तियों की संख्या	शामिल धन राशि (₹ लाख में)
1.	एससीएन के जारी करने में कमियां (पैराग्राफ 3.4.1)	25	9,37,239
2.	अधिनिर्णयन के परिणामस्वरूप प्रक्रियाओं और पद्धतियों में कमियां (पैराग्राफ 3.4.2)	43	79,483
3.	अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों के उचित अनुपरीक्षण में कमी (पैराग्राफ 3.4.3)	13	4,973
4.	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता (पैराग्राफ 3.4.4)	60	43,187
	कुल	**141**	**10,64,882**

आगामी पैराग्राफों में विस्तार से निष्कर्षों की चर्चा की गई है:

3.4.1 एससीएन के जारी करने में कमियां

3.4.1.1 नोटिस पूर्व परामर्श विनियमावली का अननुपालन

पीएनसी विनियमावली, 2018 के पैराग्राफ 3(1) में कहा गया कि 1 अप्रैल 2018 से अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने से पहले उपयुक्त अधिकारी लिखित रूप में, उस व्यक्ति को उपयुक्त अधिकारी को ज्ञात आधारों वाली सूचना जारी करने के इरादे के शुल्क या ब्याज के साथ प्रभार्य व्यक्ति को सूचित करेगा, जिस पर इस तरह का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है और पीएनसी की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) में उल्लिखित समय-सीमा की समाप्ति से पहले कम से कम दो महीने में जितनी जल्दी संभव हो शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 25 आयुक्तालयों में से नौ आयुक्तालयों[9] ने सूचना प्रदान नहीं की और नौ आयुक्तालयों ने मांगी गई सूचना में 'शून्य' बताया। अत: लेखापरीक्षा इन 18 आयुक्तालयों में पीएनसी विनियमन के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं कर सका। शेष सात आयुक्तालयों जिन्होंने पीएनसी विवरण प्रदान किया, में से तीन[10] आयुक्तालयों में पीएनसी जारी किए बिना 2018-19 के दौरान ₹401.75 करोड़ की धन राशि वाले 82 एससीएन जारी किए गए थे। इन मामलों में, विभाग आयातकों को एससीएन जारी करने से पहले अपना मामला प्रस्तुत करने या शुल्कों और ब्याज के भुगतान के लिए अवसर प्रदान करने में विफल हो गया था।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद ने जवाब दिया (दिसम्बर 2019) कि इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं ने उन मुद्दों पर एससीएन का मसौदा तैयार किया जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और फिर इन्हे आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुख्यालय के अधिनिर्णयन अनुभाग को अधिनिर्णयन के लिए अग्रेषित किया गया था और इसलिए, आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में कोई पीएनसी आयोजिक नहीं की गई थी।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि पीएनसी का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना था और आयुक्त कार्यालय को ऐसे कोडल प्रावधानो के अनुपालन की निगरानी करना अपेक्षित था। इस बात की पुष्टि करने के बजाय

---

[9]सीमा शुल्क आयुक्तलय - अहमदाबाद, मुंद्रा, (निवारक) - जोधपुर, एसीसी-बेंगलुरु, एनसीएच-मैंगलुरु, कोचीन, आयात-एनसीएच दिल्ली, एक्सपोर्ट-एनसीएच दिल्ली, इंदौर, एसीसी-कोलकाता, सीसीपी-कोलकाता, मुंबई- न्वाहा शेवा- I,II,III,V, पटना, लखनऊ, विशाखापट्टनम,

[10]सीमा शुल्क आयुक्तालय हैदराबाद, नोएडा और निवारक आयुक्तालय- भुवनेश्वर

कि इन मामलों में पीएनसी किया गया था या नहीं, हैदराबाद आयुक्तालय के प्रत्युत्तर में कहा कि इन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शुरू एवं अनुमोदित किया गया था जो तर्कसंगत नहीं था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), भुवनेश्वर ने कहा (दिसम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले बिटुमिनस कोयले के गलत वर्गीकरण से संबंधित है, जो मुद्दा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुद्दों पर निर्णय लिए जाने तक विभाग पूर्व-एससीएन परामर्श में अलग दृष्टिकोण नहीं रख सका।

विभाग का तर्क अधिसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मुकदमेबाजी के मामलों पर आपत्ति नहीं की है परन्तु उन मामलो में की है जो एससीएन 2018-19 में बिना पीएनसी, पीएनसी विनियमावली के उल्लंघन के साथ जारी किए गए थे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर ने कहा कि केवल अधिनियम की धारा 28(1)(ए) के संदर्भ में जारी किए गए नोटिसों में पीएनसी की आवश्यकता होती है न कि अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किए गए नोटिसों में। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किए गए दो मामलों में, पीएनसी जारी नहीं किया गया था और नौ मामलों में दस्तावेज कॉल (डी-कॉल) नोटिसों को जारी किया गया था, जबकि एक मामले में पीएनसी मई 2019 में जारी किया गया था।

जोधपुर आयुक्तालय का जवाब इस तथ्य की स्वीकृति थी कि अधिकांश मामलों में अधिनियम में निर्धारित पीएनसी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मुद्दों को लेखापरीक्षा में उठाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, एक वर्ष से अधिक समय समाप्त होने के बाद भी जारी किए गए एससीएन की स्थिति के बारे में जवाब मौन था।

शेष पांच आयुक्तालयों से जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.2 साधारण नोटिस जारी करने के संबंध में बोर्ड परिपत्र का अननुपालन

सीबीआईसी के परिपत्र सं. 16/2017 दिनांक 2 मई 2017 के अनुसार, क्षेत्रीय संरचना ईओ के निर्वहन के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस धारकों को साधारण नोटिस जारी करें। यदि लाइसेंस धारक डीजीएफटी को प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो डीजीएफटी द्वारा इस मामले का निर्णय लेने तक इसे स्थगित रखा जा सकता है। हालांकि, यदि लाइसेंस धारक ईओडीसी/मोचन प्रमाण-पत्र, विस्तार/क्लबिंग आदि के लिए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बांड/बैंक गारंटी को लागू करके वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धोखाधड़ी, पूर्णतया अपवंचन आदि के मामले में, क्षेत्रीय संरचनाएं प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई जारी रखेंगे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई ने ईओडीसी के गैर-प्रस्तुतीकरण के मद्दों पर 2 मई 2017 के बाद ₹222.83 करोड़ की धन राशि से जुड़े 210 एससीएन (फरवरी से अगस्त 2018) जारी किए थे। यह ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस धारकों को एक साधारण नोटिस जारी करने के लिए बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन था। ये मामले दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए अभी भी लंबित थे।

साधारण नोटिस के बजाय एससीएन जारी करना और बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इसे स्थगित करना अनुचित था।

इसे लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाया गया था (जनवरी 2020), जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.3 एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि की गलत मांग

तीन[11] आयुक्तालयों में, अधिनियम की धारा 28(4) के तहत विस्तारित अवधि में 100 बीई (अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2017) में एससीएन जारी करने की मांग की गई थी, जिसमें गलत वर्गीकरण/गलत छूट लाभ के विस्तार जैसे मुद्दों के लिए ₹76.48 करोड़ की शुल्क राशि शामिल थी, जो माल की निकासी से पहले विभाग के संज्ञान में थी। चूँकि इन्हें अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत कवर किया गया था जो जानसूझकर गलत-विवरण या तथ्यों को छिपाने के मामलों के लिए लागू होता हैं अत: इन मामलों के लिए

[11]सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) व (एयर), चेन्नई, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर

इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 100 बीई में से 88 बीई में अप्रैल 2012 से नवम्बर 2016 तक की अवधि से संबंधित ₹76.25 करोड़ की शुल्क राशि शामिल थी, जो अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने के लिए समय बाधित हो गई थी।

अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

3.4.1.4 समय बाधित एससीएन

(क) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकाता और जेएनसीएच मुम्बई में, ₹87.31 लाख की शुल्क राशि वाले ग्यारह मामलें (32 बीई और 152 एसबी) को अधिनियम की धारा 28(1) के तहत एससीएन जारी करने के लिए आयुक्त द्वारा समय बाधित घोषित किया गया था।

दो ऐसे मामले नीचे बताए गए है

(i) सीमा शुल्क, आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में, मैसर्स 'ए' चेम ईन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को सितम्बर 2015 से सितम्बर 2016 तक की अवधि से संबंधित ₹97.92 लाख की धन राशि से जुड़े 41 बीई के लिए एससीएन जारी किए गए (मई 2017)। एससीएन का अधिनिर्णय जनवरी 2018 में किया गया था जिसमें आयुक्त ने ₹66.15 लाख के शुल्क वाले 30 बीई को समय बाधित घोषित किया, चूँकि ये बीई अधिनियम की धारा 28(1) के तहत संशोधित (मई 2016) होने से पहले की अवधि से संबंधित थे और केवल एक वर्ष की नोटिस अवधि के तहत आते थे।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकाता में, जून 2010 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित अभ्रक निर्यात के लिए 152 एसबी के संबंध में 09 मामले थे, जिनमें ₹ 10.94 लाख का उपकर शामिल था। इन एसबी के लिए एससीएन छह महीने (7 अप्रैल 2011 से पहले) या एक वर्ष (8 अप्रैल से 13 मई 2016) की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिनियम की धारा 28(1) के तहत जून 2015 और अप्रैल 2016 के बीच जारी किए गए थे। अधिनिर्णयन प्राधिकारियों ने अधिनियम की धारा 28(1) के बजाय जानबूझकर गलत विवरण और तथ्यों को छिपाने की अधिनियम की धारा 28(4) के प्रावधानो के तहत जनवरी 2018 और मार्च 2018 के बीच नौ मांगों की पुष्टि की। आदेशों से असंतुष्ट होकर निर्यातकों ने सीमा शुल्क

आयुक्तालय (अपील) के समक्ष अपीलों को तरजीह दी जहां अपीलीय प्राधिकरण ने निर्णय लिया (सितम्बर 2018) कि एससीएन समय बाधित थे। दिसम्बर 2018 में, विभाग ने अधिनिर्णयन प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए ओआईओ की पुन: स्थापना के लिए सेसटेट, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की।

यद्यपि, सेसटेट का निर्णय तत्काल मामलों के संबंध में लंबित था, फिर भी इसी तरह के एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता ने 2007 के डब्ल्यूपी सं. 314 के प्रति एक्सवाईजेड एंड कंपनी एंड एएनआर बनाम संघ सरकार व अन्य के मामले में यह निर्णय लिया था कि वे एससीएन जो याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 28(1) के तहत जारी किए गए थे, को जारी करने के समय पर समय सीमा तक स्वयं को बाधित कर दिया था और अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(4) लागू करके वसूली नहीं की जा सकती थी।

तथ्य यह है कि एससीएन के समय पर जारी होने में देरी के परिणामस्वरूप निर्यातकों और विभाग के बीच परिहार्य विवाद हुआ है जिसके लिए राजस्व निर्यात की तिथि से लगभग छह से दस वर्षों तक अवरूद्ध रहा और विभाग को समय बाधित होने के कारण इन मांगों में शामिल राजस्व को खोने का जोखिम है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

(ख) अधिनियम की धारा 75 और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017[12] के नियम 18 के उप-नियम (2) में प्रतिअदायगी वसूली के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है, यदि ऐसे माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) अधिनियम, 1999 के तहत नौ महीने की अनुमत समय-सीमा के भीतर न हो। सीमा शुल्क आयुक्तालय ने बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (बीआरसी) के माध्यम से विदेशी मुद्रा की वसूली को देखना है और गैर-प्राप्ति के मामले में, एससीएन जारी करके प्रतिअदायगी की वसूली के लिए आगे कार्रवाई करनी है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच नई दिल्ली के तहत दो मामलों में, एससीएन को बीआरसी के गैर-प्रस्तुतीकरण के लिए क्रमश: 11 और 8 वर्षों की देरी के बाद ₹61.13 लाख की प्रतिअदायगी राशि की वसूली के लिए

[12] सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमों का पूर्व नियम 16 (ए) (2) 01.10.2017 से बदल गया है।

मैसर्स 'बी' (यूजेड) इम्पैक्स और मैसर्स 'सी' इम्पैक्स (भारत) को अधिनियम की धारा 75 व सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 2017[13] के नियम 18 के उप-नियम (2) के तहत जारी किया गया था (दिसम्बर 2016)।

पक्षकारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन एससीएन के प्रति रिट याचिका दायर की, जिसमें एससीएन को जारी करने में देरी को बताया गया। विभाग ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 16(ए)(2) को संदर्भित किया और यह प्रस्तुत किया कि इसके तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 05 अगस्त 2019 के अपने आदेश के अनुसार एससीएन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि जहां निर्धारण पूरा करने के लिए कोई समय सीमा की निर्धारित नहीं थी, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि किसी भी समय शक्ति का प्रयोग किया जा सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना था, और उचित अवधि क्या थी यह कानून अधिकारों और उसके तहत देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों की प्रकृति पर निर्भर होगा।

तद्नुसार, यदि आयुक्तालय ने फेमा के तहत निर्धारित नौ महीने की अवधि की समाप्ति के बाद बीआरसी प्रस्तुत न करने के लिए एससीएन जारी किए होते तो, विभाग स्वयं को ऐसे मुकदमों से बचा लेता और ₹61.13 लाख के सरकारी राजस्व की रक्षा होती।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात) न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली ने जवाब में कहा कि अब इन मामलों में नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। एससीएन को उचित समय अवधि के भीतर प्रतिअदायगी नियमावली के प्रावधान के अनुसार जारी किया जा रहा है।

एससीएन जारी करने में असामान्य देरी की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

[13] इससे पहले सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1995 का पूर्व नियम 16 (ए) (2) 01.10.2017 से बदल गया है

3.4.1.5 सेज को एससीएन जारी करने में देरी

सेज नियमावली 2006 के नियम 25 में बताया गया है कि जहां कोई उद्यमी या डेवलपर उस माल या सेवाओं का उपयोग नहीं करते है जिन पर प्राधिकृत परिचालन के लिए छूटें, प्रतिअदायगी, उपकर और रियायते प्राप्त की गई है या इसके लिए विधिवत लेखा देने में असमर्थ है, उद्यमी या डेवलपर को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राप्त लाभों के बराबर राशि वापस करेगा।

डीसी-सीप्ज, मुम्बई और विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीसेज़) में छह मामलों[14] में ₹25.52 करोड़ के सीमा शुल्क वाले एससीएन को विनिर्माण के निलंबन, अनधिकृत परिचालन के लिए सार्वजनिक परिसरों का उपयोग करने, इकाई की डी-बांडिंग के लिए कार्रवाई शुरू करने और उप-पट्टा करार के गैर-कार्यान्वयन करने के लिए जारी किया गया था। ये एससीएन 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।

दो ऐसे मामले नीचे बताए गए है:

(i) डीसी- सीप्ज, मुम्बई में मैसर्स 'डी-1' ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (ईओयू) को मार्च 2004 में स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया था। इकाई ने वित्तीय संकट के कारण जनवरी 2014 में अपनी विनिर्माण गतिविधि को निलम्बित कर दिया था। हालांकि, इकाई कार्यात्मक नहीं थी और 2014-16 की अवधि के लिए सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर रही थी, एससीएन को केवल अक्टूबर 2017 में जारी किया गया था। मार्च 2019 में पीएच के दौरान, यह देखा गया था कि गैर-कार्यात्मकता के अलावा सीमा शुल्क देयों सहित बकाया सरकारी देय भी मौजूद थे। इसलिए सभी लंबित मुद्दों को शामिल करते हुए जुलाई 2019 में नए समेकित एससीएन जारी किया गया जो अधिनिर्णयन के लिए लंबित था। एससीएन को जारी करने में देरी और अधिनिर्णयन को अंतिम रूप न दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 86.98 लाख के सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(ii) डीसी-वीसेज़ ने तीन वर्षों के भीतर एक ईओयू की स्थापना के लिए 23 मई 2007 को मैसर्स 'डी-2' फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति

[14] मेसर्स 'डी-3' ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 'डी-4' एजेंसी (ट्रेडिंग), मेसर्स 'डी-5', कंपनी और मेसर्स 'डी-6' मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, मेसर्स 'डी-7' फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 'डी-8' सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

पत्र (एलओपी) जारी किया गया। इकाई ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान ₹59.55 लाख मूल्य के पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री की खरीदारी की। इकाई ने दिनांक 27 फरवरी 2013 के अपने पत्र के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण की मांग की, हालांकि, एलओपी 22 मई 2010 को समाप्त हो गई थी। यद्यपि, दिनांक 27 फरवरी 2013 के बाद कोई संप्रेषण नहीं किया गया था, तथापि, डीसी, वीसेज़ ने एलओपी को रद्द करने के लिए जनवरी 2017 में एससीएन जारी किया था और मामले को दिनांक 19 मई 2017 के ओआईओ के द्वारा अधिनिर्णित किया गया था। सीमा शुल्क विभाग ने दिनांक 12 सितम्बर 2017 के अपने पत्र में सूचित किया कि इकाई पंजीकृत परिसरों से नदारद थी और ऐसी कोई पूंजीगत माल एवं कच्ची सामग्रियां जो शुल्क के भुगतान के बिना खरीदी गई थी उक्त परिसरों में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, यद्यपि एलओपी 22 मई 2010 को समाप्त हो गई और एससीएन को छह साल से अधिक की देरी से 9 जनवरी 2017 को जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एलओपी का दुरूपयोग हुआ और राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में निर्दिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.6 त्रुटिपूर्ण एससीएन को ड्रॉप करना

यदि इस तरह के परिशोधन/संशोधन से मूल एससीएन की शुद्धि पत्र/ परिशिष्ट जारी करके पार्टी पर और अधिक बोझ पड़ता है तो जारी किए गए एक एससीएन को परिशोधित या संशोधित किया जाएगा। एससीएन को अधिनिर्णित करते समय संशोधन/परिशोधन के तथ्य की उचित रिकॉर्डिंग ओआईओ में करनी है। इसी तरह एससीएन में बताए गए मुद्दों के संबंध में पार्टी के साथ किसी भी अनुवर्ती प्रासंगिक संप्रेषण को रिकॉर्ड किया गया है और प्रासंगिकता के बिंदू जैसे पार्टी द्वारा विवाद के कारणों और उसके खंडन को ओआईओ में दर्शाना पड़ता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो आयुक्तालयों[15] के तहत तहत ₹21.88 लाख के धन मूल्य से जुड़े दो मामलों में एससीएन को निर्धारित प्रक्रिया के अननुपालन और तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था।

[15] कोचीन (समुद्र) आयुक्तालय, सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) एनसीएच नई दिल्ली

मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) कोचीन में, एसआईआईबी इनपुट्स के आधार पर एससीएन को सीटीएच 33049090 के बजाय सीटीएच 30067000/34039900/33073090 के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹21.32 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण दर्शाते हुए ग्यारह बीई के लिए मैसर्स 'ई' केयर लिमिटेड को अधिनियम की धारा 28(4) के तहत जारी किया गया था (मार्च 2017)। पार्टी द्वारा विरोध किए जा रहे वर्गीकरण पर, सीमा शुल्क विभाग ने अन्य सीटीएच 38249090 का प्रस्ताव करते हुए मई 2018 में एक पत्र जारी किया जिसे भी पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दो बीई जिसे मूल एससीएन में शामिल नहीं किया गया था, को शामिल करते हुए ₹21.88 लाख के कम उद्ग्रहण को संशोधित करते हुए अगस्त में मूल एससीएन का एक शुद्धिपत्र जारी किया। एससीएन के लिए अगस्त 2018 में जारी किए गए ओआईओ को केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने मूल एससीएन के प्रस्ताव के अनुसार एक आदेश पारित किया था, जिसमें शीर्ष 33049090 के तहत माल का वर्गीकृरण किया, जिसे बाद में जारी किए गए पत्र को रद्द किए बिना सीटीएच 38249090 के तहत माल का वर्गीकरण किया गया। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने अंततः अध्याय शीर्ष 33049090 के तहत माल को वर्गीकृत करने के लिए एससीएन में प्रस्ताव को छोड़ दिया। एससीएन को जारी करने के बाद गलत टैरिफ श्रेणी (नामतः सीटीएच 38249090) का प्रस्ताव बाद वाले संप्रेषण को रद्द किए बिना मूल एससीएन के अधिनिर्णय के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी की कार्रवाई विधि न्यायालय में अधिनिर्णयन आदेश को चुनौती देने के लिए आयातक हेतु आधार बन गई। इसके अलावा, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने पत्र में दिए गए प्रस्ताव पर पीएच के परिणाम और ओआईओ में प्रस्ताव को छोडने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रिकार्ड नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयन आदेश को रद्द कर दिया गया था।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक एससीएन अधिनियम की धारा 28(1) के तहत ₹85 की शुल्क राशि के कम उद्ग्रहण के लिए मैसर्स 'एफ' सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया था (मार्च 2018)। ₹100 से कम के शुल्क के कम उद्ग्रहण के लिए एससीएन जारी करना अधिनियम की धारा 28(1) के प्रावधान के विरूद्ध था। इसके अलावा, एससीएन को अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा ड्र दिया गया था (दिसम्बर 2018)। ₹100 से कम के शुल्क कम उद्ग्रहण के

लिए एससीएन को जारी करना न केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी है बल्कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी पर बोझ भी है जिससे बचा जा सकता था।

इसे जनवरी 2020 में बताया गया था, मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.1.7 आरए द्वारा नोटिस देरी से जारी करना/जारी न करना

हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर (एचबीपी) खंड 1 के पैराग्राफ 5.13 के अनुसार, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) प्राधिकार धारक संबंधित आरए को ईओ की पूर्ति के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, ईपीसीजी अधिसूचना के साथ पठित एचबीपी खंड 1 के पैराग्राफ 5.8 में ईओ की खंड-वार उपलब्धियां निर्धारित है। ऐसे मामलों जहां किसी विशेष ब्लॉक के ईओ की पूर्ति नहीं होती है, तो वहां धारक उक्त ब्लॉक के अंत से तीन महीने के भीतर आपूर्ति न किए गए ईओ के आयात अनुपात पर सीमा शुल्क के शुल्क का भुगतान करेगा। डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार, एचबीपी खंड-1, 2015-20 के पैराग्राफ 4.44(बी) के अनुसार अग्रिम प्राधिकार धारक ईओ की अवधि की समाप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर, प्राधिकार के प्रति एसबी के विवरण को लिंक करके ऑनलाइन आवेदन फाइल करेगा। ईओ की अवधि लाईसेंस जारी करने से अठारह महीने हैं। इसके अलावा, एचबीपी खंड 1 का पैराग्राफ 4.44(एफ) बताता है कि यदि प्राधिकार धारक ईओ को पूरा करने में या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और उपक्रम की शर्त को लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक के अगले प्राधिकार के खंडन सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा। हालांकि, डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए एफटीआर अधिनियम 1992 या उसके तहत नियमावली अथवा प्रशांसनिक निर्देशों में लाईसेंस धारकों के प्रति कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जो प्रावधान का उल्लंघन करेगा।

छः आरए[16] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2001 से 2016 के दौरान ₹8,645 करोड़ की बचत शुल्क राशि कुल 5,061 लाईसेंस (4,849 ईपीसीजी और 212 अग्रिम लाईसेंस) जारी किए गए थे और जिनमें ईओ अवधि 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन विभाग ₹5,342 करोड़ के राजस्व

[16] एडीजीएफटी, मुंबई, एडीजीएफटी, अहमदाबाद, एडीजीएफटी, राजकोट, जेडीजीएफटी, चेन्नई, डीडीजीएफटी, कानपुर और एडीजीएफटी, हैदराबाद

वाले 2,665 मामलों में निर्धारित ईओ की पूर्ति करने में असफल होने के लिए लाइसेंस धारकों के प्रति एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। ₹303 करोड़ के राजस्व वाले 2,396 मामलों में, यद्यपि एससीएन को काफी देरी के बाद जारी किया गया था, इन एससीएन को दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में (जनवरी/फरवरी 2020), अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (एडीजीएफटी), हैदराबाद ने कहा कि अपर्याप्त स्टाफ देरी का कारण था, शेष पांच आरए से जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2 प्रक्रियाओं और पद्धतियों में कमियों के कारण अधिनिर्णयन

एससीएन के अधिनिर्णयन के लिए समय सीमा अप्रैल 2018 के पहले और अप्रैल 2018 के बाद भिन्न थी। इसलिए एससीएन के अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय सीमा के पालन पर दोनों अवधियों के लिए अलग-अलग टिप्पणियां दी गई हैं।

3.4.2.1 अधिनिर्णयन के लिए मौद्रिक सीमाओं का पालन न करना

सीबीआईसी ने दिनांक 31 मई 2011 के परिपत्र[17] द्वारा एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित की है। तद्नुसार, उप आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा ₹5 लाख तक है, अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा यह ₹50 लाख तक है और आयुक्त के लिए कोई सीमा नहीं।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) भुवनेश्वर में, ₹51.62 लाख और ₹36.59 लाख की धन राशि वाले दो मामले (मै. 'जी' इंडिया प्रा. लि. एवं 'एच' स्टील कॉ. लि.) में एससीएन सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क डिविजन, पारादीप द्वारा अधिनिर्णित किया गया था जो सीबीआईसी परिपत्र में बताई गई शर्तों का उल्लंघन हैं। ये मामले केवल अतिरिक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिनियर्णित किए जाने चाहिए।

इस विषय में बताए जाने पर उप आयुक्त, सीमा शुल्क डिविजन पारादीप ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2019) कि भविष्य में एससीएन को जारी करने से पहले भी मौद्रिक सीमा का ध्यान रखा जाएगा।

[17] परिपत्र संख्या 24/2011-सीमा शुल्क दिनांक 31 मई 2011

3.4.2.2 31 मार्च 2018 तक जारी किए गए एससीएन का अधिनिर्णयन न करना

अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा 9 वर्णित करती है कि उपयुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 28(1) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में "जहां ऐसा करना संभव है"[18] एससीएन की तिथि से छह महीने के भीतर और अधिनियम की धारा 28(4) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में "जहां ऐसा करना संभव है" नोटिस की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुल्क और ब्याज की राशि का निर्धारण करेगा।

बारह आयुक्तालयों में, ₹497.49 करोड़ की धन राशि से जुड़े 117 एससीएन एक महीने से 182 महीने की अवधि के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। एक मामले की चर्चा नीचे की गई है:

सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में, धोखे से शुल्क मुफ्त क्रेडिट एनटाइटलमेंट (डीएफसीई) लाइसेंस प्राप्त करने में डीआरआई (दिसम्बर 2012) द्वारा ₹49.77 करोड़ की शुल्क राशि के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। गुजरात के माननीय[19] उच्च न्यायालय ने एसीएन के अधिनिर्णयन के लिए 31 मार्च 2016 की सीमा निर्धारित की। विस्तार मांगने वाले विभाग द्वारा दायर किए गए विविध आवेदन को दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। मामले की उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से14 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद 2 नवम्बर 2018 को बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था और मामला लेखापरीक्षा की तारीख (नवम्बर 2019) तक भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था। मामला मई 2020 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)। ₹13.44 करोड़ की शुल्क राशि वाले ऐसे ही सात मामले नीचे तालिका 3.3 में विस्तृत हैं:

[18] वित्त अधिनियम, 2018 के तहत हटाया गया

[19] दिनांक 26 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा

तालिका 3.3: डीजीएफटी नई दिल्ली से समीक्षा आदेशों के अभाव में सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद में लंबित एससीएन

क्र. सं.	निर्यातक का नाम	डीआरआई एससीएन सं. एवं तिथि	डीजीएफटी ओआईओ सं. एवं तिथि	धन राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	मेसर्स 'आई' इंटरमीडिएट	डीआरआई/एज़ेडयू / आईएनवी-45/2009 दि. 09-03-2010	08/एफ-3/01/एएम-11/ईसीए दि. 10.07.13	76.95	डीआरआई द्वारा जारी एससीएन के आधार पर जेडीजीएफटी-अहमदाबाद ने भी एससीएन जारी किया जिसे बाद में ड्रॉप कर दिया गया। डीआरआई ने 03 फरवरी 2016 को पत्र भेजकर प्रधान आयुक्त से अनुरोध किया कि वे आरोपित एससीएन के अधिनिर्णयन को आगे की सूचना तक स्थगित रखें। डीआरआई ने 08 जुलाई 2016 को पत्र के माध्यम से डीजीएफटी, नई दिल्ली से जेडीजीएफटी, अहमदाबाद द्वारा पारित आरोपित ओआईओ की समीक्षा करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त ने बोर्ड से भी अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे को वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाए ताकि डीजीएफटी द्वारा कार्यवाही में तेजी लाई जा सके। मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, गुजरात जोन के कई अनुस्मारकों के बावजूद, बोर्ड ने कोई कारेरवाई नही की और मामले अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹1344 लाख के सरकारी बकाया का अवरोधन हुआ।
2	मेसर्स 'जे' केमिकल्स	डीआरआई/एज़ेडयू / आईएनवी-47/2009 दि. 14-08-2012	08/एफ-3/2/एएम13/ ईसीए दि.15.07.13	203.00	
3	मेसर्स 'के' (पी) लिमिटेड	डीआरआई/एजेडयू/ आईएनक्यू-56/2013 दि. 30-10-2013	08/एफ-3/04/एएम14/ ईसीए दि. 27.01.14	188.42	
4	मेसर्स 'एल' केमिकल्स	डीआरआई/एयूजेड/ आईएनवी-48/2009 दि. 15-06-2012	08/एफ-3/3/ एएम11/ईसीए दि.16.07.13	120.00	
5	मेसर्स 'एम' डाई केम इंडस्ट्रीज	डीआरआई/एयूजेडी / आईएनवी - 6/2010 दि. 14-08-2012	08/एफ-3/02/एएम11/ ईसीए दि.01.11.13	55.87	
6	मेसर्स 'एन' डाईस एंड इंटरमीडिएट	डीआरआई/एज़ेडयू /आईएनक्यू-53/2013 दि. 24.06.2013	08/एफ-3/05/एएम14/ ईसीए दि.14.03.14	103.00	
7	मेसर्स 'ओ' केमिकल्स इंडस्ट्रीज	डीआरआई/एज़ेडयू /आईएनक्यू-55/2013 दि. 30.10.2013	08/एफ-3/05/एएम14/ ईसीए दि. 10.02.14	597.00	
			कुल	**1,344.24**	

सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि एससीएन वित्त बिल 2018 (29 मार्च 2018) की समाप्ति से पहले जारी किए गए थे और इसलिए अधिनियम की धारा 28(9) में प्रदान की गई एक वर्ष की समय सीमा इन मामलों में लागू नहीं होती है। ये मामले अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान द्वारा शासित होंगे क्योंकि यह ऐसी तिथि से तुरन्त पहले आते है जिस समय अधिनिर्णयन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के अधिनिर्णयन में देरी नहीं हुई थी। मामलों की मौजूदा प्रास्थिति के बारे में उत्तर मौन था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्त अधिनियम 2018 (29 मार्च 2018 से लागू) के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम में किए गए संशोधन से पहले भी अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा मौजूद थी। शब्द "जहां ऐसा करना संभव है" को हटाने के लिए संशोधन किया गया और निर्धारित समय सीमा को हटाने के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह इन सभी मामलों में भी लागू होगा, यद्धपि एससीएन को 29 मार्च 2018 में पहले जारी किया गया था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.3 निर्धारित अवधि के भीतर 1 अप्रैल 2018 के बाद जारी किए गए एससीएन का अधिनिर्णयन न करना

1 अप्रैल 2018 से लागू अधिनियम की धारा 28(9) बताती है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद जारी किए गए एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में नोटिस जारी करने की तारीख से क्रमश: 6 महीने और एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णित करना होता है। यह समय सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत क्रमश: अन्य छह महीने और एक वर्ष के लिए आगे विस्तारित की जा सकती है। यह भी बताया गया था कि यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर मामलों के अधिनिर्णय में विफलता के परिणामस्वरूप की जा रही कार्रवाई की निष्कर्ष माना जाएगा। तद्नुसार, निर्धारित समय के भीतर अधिनिर्णयन न करने के कारण एससीएन को बंद माना जा सकता है और परिणामस्वरूप चूककर्ता से राजस्व की गैर-प्राप्ति यदि कोई हो, की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा।

दो आयुक्तालयों[20] में, ₹9.03 करोड़ की धन राशि से जुड़े छह मामलों में, अधिनियम की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत फरवरी 2018 से फरवरी 2019 के दौरान जारी किए गए एससीएन के लिए अधिनिर्णयन आदेश को निर्धारित अवधि को पूरा करने के बाद भी पारित नहीं किया गया था।

दो मामले नीचे दिए गए है:

i. सीमा शुल्क आयुक्तालय जेएनसीएच, मुम्बई के तहत मैसर्स 'पी' मॉम प्राइवेट लिमिटेड ने आयातित माल की सही खुदरा कीमत के छिपाव के लिए अधिनियम की धारा 28(4) के तहत फरवरी 2018 में एससीएन जारी किए गए थे। और ₹8.71 करोड़ के विभेदक शुल्क की मांग की गआ। अंतिम पीएच के दौरान पार्टी ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि वित्त अधिनियम 2018 के लागू होने के बाद 29 मार्च 2018 से पहले जारी किए गए एससीएन भी 28 मार्च 2019 तक अधिनिर्णित हो जाने चाहिए और ऐसा करने में विफल होने पर, एससीएन को ऐसे लिए जाएगा जैसे वे कभी जारी ही नहीं किए गए थे। इसके अलावा, जेएनसीएच द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश[21] के पैराग्राफ 5 के अनुसार, अधिनियम की धारा 28(4) से संबंधित मामलों के संबंध में अधिनिर्णयन आदेश 28 मार्च 2019 तक जारी किए जाने चाहिए। यह मामला एक वर्ष की देरी के बाद भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था और ₹8.71 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध रहा।

ii. सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में मैसर्स 'क्यू' एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड ने अधिनियम की धारा 28(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के तहत ₹25.20 लाख की राशि के लिए जून 2018 में एससीएन जारी किया गया था। एससीएन को चार महीने की देरी के बाद अक्टूबर 2019 में अधिनिर्णित किया गया था जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह पुष्टि की गई थी कि अधिनिर्णयन अवधि के विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई विस्तार नहीं मांगा गया था।

[20] सीमा शुल्क आयुक्तालय जेएनसीएच मुंबई और सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली

[21] स्थायी आदेश संख्या 22/2018 दिनांक 15 जून 2018

समय सीमा के भीतर मामले के अधिनिर्णय में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया था।

यह आयुक्तालय को बताया गया है (जनवरी/फरवरी 2020); उनका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.4 निर्धारित मानकों से अधिक पीएच देना

अधिनियम की धारा 122ए निर्धारित करती है कि यदि पार्टी ऐसा चाहती हैं, तो अधिनिर्णयन प्राधिकारी कार्रवाई में पार्टी को सुनने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, यदि कार्रवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दर्शाया जाए तो, अधिनिर्णयन प्राधिकारी समय-समय पर, पार्टियों को या उनमें से किसी को भी समय प्रदान करना और जिन कारणों के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया उन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जाएं बशर्ते कि ऐसा कोई भी स्थगन कार्रवाई के दौरान एक पार्टी को तीन बार से ज्यादा प्रदान नहीं किया जाएगा।

12 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[22] में, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उपर्युक्त सांविधिक प्रावधान के उल्लंघन में ₹16 करोड़ की धन राशि वाले 56 मामलों में पार्टियों के पीएच को तीन से अधिक स्थगन प्रदान किए गए है। इन 56 मामलों में से, ₹6.94 करोड़ को धन राशि वाले 26 मामलों में, पीएच का 4 से 11 बार स्थगन किया गया था और 31 दिसम्बर 2019 तक 10 महीने से 118 महीने के अवधि के मामलों में अधिनिर्णयन लंबित था।

अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उक्त धारा के प्रावधान का उल्लंघन किया और पीएच को तीन से अधिक बार स्थगन प्रदान किया गया जिससे अंतत: अधिनिर्णयन प्रक्रिया में देरी हुई और जिसके परिणामस्वरूप वसूली प्रक्रिया प्रभावित हुई।

तीन मामलें नीचे बताए गए है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, ₹1.01 करोड़ की धन राशि वाले दो मामलों के लिए सीमा शुल्क संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त द्वारा छह स्थगन प्रदान किए गए थे और इन्हीं दो मामलों में 48 महीने से 118 महीनों की अवधि के लिए अधिनिर्णयन अभी भी लंबित थे।

[22] सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ और पटना, कोलकाता (एयरपोर्ट), पश्चिम बंगाल (निवारक), सीमा शुल्क (अहमदाबाद), मुंद्रा, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लुधियाना, जेएनसीएच (मुंबई), दिल्ली, आयात) और दिल्ली (निर्यात)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट), कोलकात्ता में, ₹5.40 करोड़ की धन राशि वाले 4 मामलों में सीमा शुल्क अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त द्वारा पीएच को पांच से दस स्थगन प्रदान किए गए थे। मामले 9 महीनों से 36 महीनों से अधिनिर्णयन हेतु अभी भी लंबित थे।

इस विषय में बताए जाने पर, सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, कोलकात्ता ने जवाब दिया कि श्रमबल की कमी, अधिनिर्णयन प्राधिकारियों के अनेकों प्रभारों और बार-बार स्थानांतरणों ने अधिक पीएच प्रदान करने में योगदान दिया। तथ्य यह है कि निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में पीएच को स्थगन प्रदान करने के बावजूद ₹5.48 करोड़ को धन राशि वाले नौ मामलों में अधिनिर्णयन लंबित था।

(iii) सीमा शुल्क आयुक्तालय लुधियाना में, ₹1.45 करोड़ की धन राशि वाले पांच मामलों में, पीएच के चार से ग्यारह स्थगन सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए थे।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना ने उत्तर दिया कि पीएच के लिए अवसर दिए गए थे और अंतिम पीएच की तिथि से निर्धारित समय अर्थात 30 दिनों के भीतर ओआईओ जारी किया गया था। उत्तर लंबित मामलों की मौजूदा प्रास्थिति के बारे में मौन था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 122ए के प्रावधानों के उल्लंघन में तीन बार से अधिक स्थगन प्रदान किए गए थे।

अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2020)।

3.4.2.5 अंतिम पीएच के बाद अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी

सीबीआईसी ने दिनांक 10.03.2017 के अपनी मास्टर परिपत्र सं. 1053/02/2017-सीएक्स में कहा कि "सभी मामलों में जहां पीएच पूर्ण किया गया है, जितनी जल्दी संभव हो, लेकिन किसी भी मामले में एक महीने के बाद नहीं, निर्णय का संप्रेषण करना आवश्यक है, विशेष परिस्थितियों को फाइल में रिकॉर्ड किया जाए।"

पांच आयुक्तालयों[23] में देखा गया कि अंतिम पीएच की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 02 दिन से 808 दिनों के बीच की देरी के साथ ₹ 85.46 करोड़ की धन राशि वाले 117 मामले के लिए अधिनिर्णयन आदेश जारी किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4 अंतिम पीएच के बाद अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी

देरी की सीमा (दिनों में)	मामलों की सं.	सम्मिलित धन राशि (₹ लाख में)
1 महीने तक	46	945.80
1 महीने से 3 महीने	37	3,633.73
3 महीने से 6 महीने	24	937.14
6 महीने से 1 वर्ष	7	3,012.12
1 वर्ष से अधिक	3	17.03
कुल	**117**	**8,545.82**

कुल 117 विलम्बित मामलों में से, ₹30.29 करोड़ की धन राशि वाले 10 मामलें जहां देरी 6 महीनों से अधिक थी, में देरी किए गए आदेशों में शामिल कुल धन राशि का 35 प्रतिशत था। इन सभी दस मामलों में ₹30.29 करोड़ की मांग की पुष्टि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई थी। इस प्रकार, अधिनिर्णयन के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाने के बाद भी, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन और बकायों के लंबन में वृद्धि हुई।

निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

[23] सीमा शुल्क (निवारक)-लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय-नोएडा, जेएनसीएच मुंबई, आयुक्तालय (आयात), नई दिल्ली और सीमा शुल्क-हैदराबाद

3.4.2.6 एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में पीएच के निर्धारण के लिए प्रावधान का अभाव

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में पार्टियों को समय-समय पर इस शर्त के अधीन सुनवाई प्रदान करने का प्रावधान है कि सुनवाई का स्थगन तीन बार से अधिक नहीं किया जाएगा। हालांकि, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में इस संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हैं। निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, डीसी बिना किसी नम्बरों की सीमा के पीएच प्रदान कर रहे हैं।

एससीएन और अधिनिर्णयन से संबंधित डीसी, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएसेज़) में लेखापरीक्षा के लिए चयनित 52 मामलों की संवीक्षा से पता चला है कि पीएच की संख्या के संबंध में विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने 03 मामले में पार्टी को 3 से अधिक पीएच प्रदान किए।

ऐसा ही एक मामला नीचे बताया गया हैं:

i. डीसी-केएसेज़, गांधीधाम के कार्यालय में एससीएन फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि सेज़ नियमावली, 2006 के प्रावधानों को उल्लंघन अर्थात 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए वार्षिक निष्पादन विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने पर मैसर्स 'आर' शिपिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गांधीधाम को दिसम्बर 2016 में बांड शर्त का अनुपालन न करने के लिए एससीएन जारी किया गया था। 02 दिसम्बर 2016 और 06 मार्च 2018 के बीच पार्टी को छह पीएच का मौका पहले ही दिया जा चुका था और पार्टी 06 मार्च 2018 को प्रस्तुत हुई। अभीलेखों में आगे की कोई प्रगति नहीं पायी गई और एससीएन जारी होने के चार वर्षों बाद भी यह अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), डीसी, केएसेज़ ने जवाब दिया (दिसम्बर 2019) कि एससीएन को अधिनिर्णयन नहीं किया जा सकता क्योंकि डीसी जिसने एससीएन जारी किए और पीएच किया था, को केएसेज़ से स्थानांतरित किया गया है। यह भी कहा गया था कि जारी किए गए एससीएन को पीएच देने के बाद कम समय अवधि के भीतर ही वर्तमान डीसी द्वारा अधिनिर्णित किया जाएगा।

एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर

अधिनियम, 1992 में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.7 आरयूडी के अभाव में एससीएन का लंबन

दिनांक 10 मार्च 2017 की मास्टर परिपत्र सं. 1053/02/2017-सीएक्स के अनुसार, अधिनिर्णयन प्राधिकारी को रिकॉर्ड में सभी साक्ष्यों, मुद्दों और सामग्री की जांच करनी, एससीएन में कार्यरत प्रभारों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करना और एससीएन को दिए गए उत्तर की जांच करना और उन्हें ठोस तर्क के साथ स्वीकार करना या अस्वीकार करना हैं। पैरा 13 में प्रावधान है कि एससीएन और एससीएन में विश्वसनीय दस्तावेजों पर अधिनिर्णयन कार्यवाहियों शुरू करने के लिए निर्धारिती को भेजने की आवश्यकता है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच, नई दिल्ली में, 86 मामलों में से चार मामलों में अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान जारी किए गए, ₹2.09 करोड़ के राजस्व वाले एससीएन दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी फाइलों में आरयूडी के उपलब्ध न होने के कारण मामलों का अधिनिर्णय नहीं कर सके, जिसके आधार पर एससीएन जारी किए गए थे। मामलों के अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारियों ने आरयूडी की मांग एससीएन प्राधिकारियों से करने का अनुरोध किया (मई 2017 में मार्च 2019), लेकिन अभिलेखों में आगे की कोई प्रगति उपलब्ध नहीं थी। चार मामलों में से दो में आरयूडी के लिए नोटिस प्राप्त कर्ता का अनुरोध मई 2017/अगस्त 2019 तक लंबित पाया गया था।

एससीएन जारी करने में आरयूडी के साथ एससीएन जारी करने वाले प्राधिकारियों की प्रारंभिक विफलता निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन था। बाद में, निगरानी प्राधिकारी आरयूडी के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता के अनुरोधों के निपटान पर कार्रवाई करने पर विफल रहे। अधिनिर्णयन में देरी को मिलाकर इन विफलताओं ने एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमजोरी की ओर संकेत किया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात), एनसीएच, नई दिल्ली ने कहा (जनवरी 2020) कि तीन मामलों में नोटिस प्राप्त कर्ता या उनके वकीलों ने बार-बार अन्य पीएच के लिए अनुरोध किया गया है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण भी आगे पीएच देने की आवश्यकता है जिससे

अधिनिर्णयन कार्रवाई में देरी हुई। विभाग ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पीएच देने की आवश्यकता है। हालांकि, यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो मामले में निर्णय एकतरफा होगा।

विभाग के उत्तर में मामलों के समय पर अधिनिर्णयन में निष्क्रियता की स्वीकृति है। इंगित किए गए मामलों के अप्राप्त आरयूडी के बारे में उत्तर मौन था जिनके अभाव में अधिनिर्णयन लंबित थे। मामलों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है (जुलाई 2020)।

3.4.2.8 पार्टियों से कोई उत्तर न मिलने के बावजूद अधिनिर्णयन मामलों का लंबन

अधिनियम की धारा 124 में यह बताया गया कि यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ या यदि पार्टी सुनवाई के लिए रखे गए मामले में अधिनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय एकतरफा होगा।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुम्बई में, रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 101.61 करोड़ की धन राशि वाले 111 मामलों में एससीएन जारी करने के बाद 5 महीनों से 34 महीनों से 31 दिसम्बर 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। इनमें से, 76 मामलों में कोई पीएच जारी नहीं किया गया था और 35 मामलों में, पीएच जारी किए गए थे लेकिन पार्टियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इन एससीएन का अधिनिर्णयन न होना अधिनियम की उपर्युक्त धारा 124 का उल्लंघन था।

यह जनवरी 2020 में विभाग को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.9 जब्ती मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

बोर्ड ने विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित[24] की है जिसके भीतर विभागीय अधिकारी उन मामलों में अधिनिर्णयन पूरा करेंगे जो अधिनियम की धारा 124 के तहत जब्ती से संबंधित है। आयुक्त या अपर/संयुक्त आयुक्त, सहायक/उप आयुक्त और सीमा शुल्क अधीक्षक को अधिनियम की धारा 124 के तहत एससीएन की सर्विस की तिथि से क्रमश: एक वर्ष, छह महीने और तीन महीने के भीतर अधिनिर्णयन पूर्ण करना अपेक्षित है।

[24] परिपत्र संख्या 3/2007-सीमा शुल्क दिनांक 10.01.2007

लेखापरीक्षा संवीक्षा से, अधिनिर्णयन में बोर्ड के निर्देशों में देरी का अनुपालन न करने और अधिनिर्णयनों को देरी से करने के साथ-साथ ऐसे मामलों पता चला जो अभी भी अधिनिर्णियन हेतु निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से लंबित है, जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में विस्तृत है:

तालिक 3.5: देरी से अधिनिर्णित और अधिनिर्णयन हेतु लंबित मामलों का विवरण

दिन	देरी से अधिनिर्णित मामलें				अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामले			
	मामलें		राशि		मामलें		राशि	
	सं.	%	₹ करोड़ में	%	सं.	%	₹ करोड़ में	%
3 महीने तक	175	35	5.90	40	16	12	9.30	18
3 महीने से 6 महीने	136	28	4.18	28	48	36	4.63	9
6 महीने से एक साल	101	20	3.26	22	44	33	7.50	15
एक वर्ष से अधिक	82	17	1.55	10	24	18	29.53	58
कुल	**494**		**14.89**		**132**		**50.96**	

छह[25] आयुक्तालयों में, ₹14.89 करोड़ के राजस्व वाले 494 मामलों में अधिनियम की धारा 124 के तहत 2 दिनों से लेकर 1122 दिनों तक की अधिनिर्णयन में देरी हुई थी। इनमें से 183 मामलों (37 प्रतिशत) में अधिनिर्णयन में देरी 6 महीने से अधिक समय के लिए हुई जिसमें ₹4.81 करोड़ का राजस्व शामिल था जो इसमें शामिल कुल राजस्व (₹14.89 करोड़) का 32 प्रतिशत है।

इसके अलावा, ₹50.96 करोड़ के राजस्व वाली आठ[26] आयुक्तालयों में 132 मामलों में, अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी किए गए एससीएन 2 दिनों से 1303 दिनों के बीच की अवधि से निर्धारित समय से अधिक समय (जनवरी 2020 तक) से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। कुल लंबित मामलों में से, एक वर्ष से अधिक लंबित 24 मामलों (18 प्रतिशत) में अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों में शामिल धन राशि कुल धन राशि का 58 प्रतिशत है।

अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों के विषय में बताए जाने पर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर ने कहा कि इन मामलों में जांच संबंधित नोटिस जारी करने की तिथि तक पूरी नहीं हुई थी क्योंकि परिशिष्ट जारी

[25] सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) पटना, सीमा शुल्क आयुक्तालय-लुधियाना, सीमा शुल्क आयुक्तालय-इंदौर, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर पोर्ट) कोलकाता और सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.)-पश्चिम बंगाल

[26] सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक- लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट) कोलकाता, सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) पश्चिम बंगाल, सीमा शुल्क आयुक्तालय - अहमदाबाद और सीमा शुल्क आयुक्तालय (प्री.) - जोधपुर

किए गए थे। इसके अलावा, एक मामले में, जांच पूरी होने के बारे में सूचित करने वाली जांच एजेंसी से 16 मई 2019 को पत्र प्राप्त हुआ था। मामलों के लंबन की गणना जांच के परिशिष्ट/पूर्णता की तारीख से की जानी चाहिए न कि नोटिस जारी करने की तारीख से।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये जब्तियों से संबंधित मामले है और ये एससीएन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णित किए जाने चाहिए। विभाग ने एससीएन जारी होने की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद परिशिष्ट जारी किया और एक अन्य मामले में मई 2019 में जांच पूरी होने के बाद भी अधिनिर्णयन लंबित था।

मामलों के अधिनिर्णयन में देरी के लिए, सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि पार्टियां मूल रूप से पीएच के लिए विभिन्न सीमा शुल्क प्राधिकारियों के प्रति जवाबदेह थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिपत्र संख्या 3/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007 के अनुसार, ओआईओ निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने अधिनिर्णयन में देरी के विषय के उत्तर में (मार्च 2020) कहा कि सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर, जनवरी, 2018 के महीने में बनाया गया था। उल्लिखित दो मामले जनवरी, 2018 में इस आयुक्तालय में प्राप्त हुए थे और एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय दिया गया था। यह दोहराया गया कि 15.01.2018 से नए आयुक्तालय के गठन के कारण, क्षेत्राधिकार और कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में शुरुआती समस्याएं मौजूद थीं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए समान आयुक्तालय द्वारा नवंबर 2017 और जुलाई 2017 में आपत्ति एससीएन जारी किए गए थे और परिपत्र संख्या 03/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007 के अनुसार इन पर एक वर्ष की समय सीमा के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए था।

शेष आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.2.10 रिमांड बैक मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

सीबीआईसी के परिपत्र[27] दिनांक 10 जनवरी, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि डी-नोवो (रिमांड बैक) मामलों को रिमांड बैक की तिथि से छह महीने/एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी विशेष मामले में उपरोक्त समयावधि का ध्यान नहीं रख सके, तो अधिनिर्णयन अधिकारी अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिन्होंने उपरोक्त समय सीमा के पालन को अवरूद्ध किया, और पर्यवेक्षी अधिकारी ऐसे मामलों के निपटान के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करेगा और तदनुसार उनके निपटान की निगरानी करेगा।

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) एनसीएच, नई दिल्ली में ₹2.02 करोड़ की शुल्क राशि से जुड़े दो रिमांड बैक मामले जनवरी 2020 तक 19 महीनों से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे और लंबित होने के कारण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई फाईलों में उपलब्ध नहीं थे। यह इंगित किया गया (जनवरी 2020), आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर से संबंधित ₹62.36 लाख के मौद्रिक मूल्य वाले एक अन्य मामले में, 320 दिनों की देरी के बाद अधिनिर्णयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में विलंब की अवधि के लिए वसूली स्थगित हुई। अधिनिर्णयन के लिए दी गई समय अवधि के किसी भी विस्तार के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर ने (मार्च 2020) कहा कि न तो अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान और न ही परिपत्र 03/2007-सी.शु. रिमांड कार्यवाही में किए गए अधिनिर्णयन के मामले में कोई समय सीमा निर्दिष्ट करते हैं।

विभाग का उत्तर सीबीईसी परिपत्र संख्या 4/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007, के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं है, अधिनियम की धारा 28(2ए) के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार डी-नोवो (रिमांड बैक) सीमा शुल्क मामलों पर छह महीने/एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, परिपत्र 4/2007-सीशु के पैराग्राफ 3 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष मामले में समयावधि का ध्यान नहीं रखा गया, तो अधिनिर्णयन अधिकारी अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिनसे उपरोक्त समय सीमा के पालन में बाधा हुई, और पर्यवेक्षी

[27] परिपत्र सं. 4/2007-सीशु दिनांक 10.01.2007

अधिकारी ऐसे मामलों के निपटान के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करेगा और तदनुसार उनके निपटान की निगरानी करेगा। लेकिन, लेखा परीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ थी कि पर्यवेक्षी अधिकारी ने ऐसे मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा तय की थी या नहीं। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

3.4.2.11 एससीएन में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क की पुष्टि

अधिनियम की धारा 28(8) के अनुसार, शुल्क या देय ब्याज की राशि नोटिस में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयुक्तालय जेएनसीएच, मुंबई में, पांच मामलों में यह पाया गया कि एससीएन में मांगा गया शुल्क ₹1.39 करोड़ था, जबकि ओआईओ में ₹1.72 करोड़ राशि की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार, ओआईओ में पुष्टि किया गया शुल्क एससीएन में मांगे गए शुल्क से अधिक था, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। मामलों के अधिनिर्णयन के समय मांगे गए ₹32.84 लाख अधिक शुल्क के कारण, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3 अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी

3.4.3.1 अधिनिर्णयन आदेशों को लागू न करना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पशु संगरोध विभाग, वृक्ष संगरोध विभाग आदि द्वारा जारी अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए आयातित माल जब्त करने, शेष शुल्क के भुगतान, शोधन जुर्माना (आरएफ) और/या शास्ति का भुगतान, पुन: निर्यात/नष्ट करने हेतु अधिनियम की विभिन्न धाराओं[28] के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिनिर्णयन आदेश जारी किए जाते हैं।

वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 15.12.1997 के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य से प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल" (आरसी) बनाया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रत्येक आयुक्तालय में एक वसूली कक्ष होता है जिसके प्रमुख कार्य अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ताओं की संपत्ति की कुर्की और बिक्री पर नोटिस देना और बकाया के संबंध में मुख्य आयुक्त को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

[28] सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28,111,112,124,125

छह आयुक्तालयों[29] में यह देखा गया कि ₹38.65 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 135 मामलों में विभाग ने दिसंबर 2015 से जून 2019 के दौरान जारी किए गए अधिनिर्णयन आदेशों को पुन: निर्यातित/अनुचित तरीके से आयातित माल के लिए लागू नहीं किया। अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत ₹38.65 करोड़ की सरकारी बकाया राशि की वसूली लंबित थी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली ने ₹12.64 लाख के मौद्रिक मूल्य से जुड़े पांच मामलों में विलंब स्वीकार किया।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने (मार्च 2020) बताया कि मै. 'एस' पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सैसटैट में (जनवरी 2020) अपील की थी और यह मामला इंदौर सेज से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि एक अन्य मामले में पार्टी के सापेक्ष आपत्ति डीआरआई द्वारा दर्ज की गई थी (जुलाई 2017)।

डीआरआई के मामले में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2017 में डीआरआई द्वारा एससीएन जारी किया गया था और दिसंबर 2018 में अधिनिर्णय दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा आपत्ति की गई राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

अन्य आयुक्तालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3.2 आयुक्त के समीक्षा आदेशों की अननुपालन

अधिनियम की धारा 129 डी (2) यह निर्दिष्ट करती है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने आप किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और इसकी जांच कर सकता है जिसमें उनके अधीनस्थ एक अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कोई भी निर्णय या आदेश पारित किया है, जिससे किसी ऐसे निर्णय की वैधता या उपयुक्तता की जांच की जा सके और अपने आदेश में सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निदिष्ट निर्णय या आदेश से सृजित ऐसे बिंदुओं के निर्धारण हेतु आयुक्त (अपील) को आवेदन करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी सीमा शुल्क अधिकारी या ऐसे प्राधिकारी को आदेश दे सकता है।

आयुक्तालय सीमा शुल्क (समुद्र-आयात) चेन्नई में समीक्षा आदेशों की संवीक्षा से पता चला है कि विभाग ने ₹1.44 करोड़ का शोधन जुर्माना और शास्ति

[29] सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई सागर सीमा शुल्क, चेन्नई एयर कस्टम, कोचीन सागर सीमा शुल्क और भुवनेश्वर आयुक्तालय

राशि लगाकर प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाले 'प्रयुक्त कपड़े' के आयात से संबंधित 41 बीई के संबंध में 41 मामलों का अधिनिर्णय किया। आयुक्त (आयात) ने अधिनिर्णयन आदेशों की समीक्षा की (दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018) और अधिनिर्णयन प्राधिकरण को शोधन जुर्माना (₹97.46 लाख) और शास्ति (₹46.32 लाख) जो भी उचित माना गया हो; को बढ़ाने हेतु आयुक्त (अपील) के समक्ष एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। आयुक्त (अपील) के सम्मुख संयुक्त आयुक्त (ग्रुप 3) द्वारा आवेदन दाखिल करने का कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न ही लेखापरीक्षा के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से सत्यापित 41 बीई के प्रति शोधन जुर्माना और शास्ति का विवरण उपलब्ध था। इसलिए शोधन जुर्माना और शास्ति बढ़ाने के लिए आयुक्त के समीक्षा आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे मई 2020 में इंगित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.3.3 आरए द्वारा जारी अधिनिर्णयन आदेशों की अनुचित अनुवर्ती कार्रवाई

ईओ को पूरा न करने के लिए, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत या एफटीपी के अंतर्गत बनाये गए किसी भी नियम या आदेश का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाते हुये, सीमा शुल्क विभाग को भेजी गई प्रति के साथ अधिनिर्णयन आदेश जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एफटीडीआर अधिनियम 1992 की धारा 11(4) के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना, यदि अदा नहीं किया गया है, तो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। डीजीएफटी द्वारा जारी ओएंडएम निर्देश संख्या 04/2018 दिनांक 2 अगस्त 2018 में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी अधिनिर्णयन आदेशों को क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और पंजीकरण बंदरगाह पर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) और सीमा शुल्क प्राधिकरण को एक प्रति भेजी जाएगी।

पांच आरए[30] में, सितंबर 2016 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान अधिनिर्णयन के बाद 40 मामलों में एफटीडीआर अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत ₹5.29 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन मामलों को आवश्यक वसूली कार्रवाई के लिए सीईआईबी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को चिह्नित नहीं किया गया

[30] सीएलए नई दिल्ली, जेडीजीएफटी चेन्नई, एडीजीएफटी मुंबई, एडीजीएफटी, राजकोट और एडीजीएफटी, कोलकाता

था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि जुर्माने के भुगतान का कोई साक्ष्य फाइलों में उपलब्ध नहीं था।

कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) आरए, नई दिल्ली में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि ₹13.05 लाख के मौद्रिक मूल्य से जुड़े तीन अधिनिर्णयन आदेश प्रवर्तन सह अधिनिर्णयन (ईसीए) वसूली कक्ष को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

इसको इंगित किये जाने पर (जनवरी 2020), आरए, नई दिल्ली ने निष्कर्षों को स्वीकार किया कि इसे पहले हस्तांतरित नहीं किया गया था और सूचित किया कि इन मामलों को जनवरी और फरवरी 2020 में ईसीए वसूली कक्ष को भेज दिया गया था।

(ii) इसी प्रकार, एडीजीएफटी, राजकोट में, एससीएन को पहली बार अप्रैल 2008 में और दूसरी बार मार्च 2018 में मैसर्स 'टी' केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 11(5) और धारा 14 के अंतर्गत जारी किया गया था। एससीएन को नवंबर 2018 में तब अधिनिर्णित किया गया जब विभाग ने पाया कि इस नाम से कोई कंपनी नहीं है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने प्रथम एससीएन जारी होने से 10 साल बीत जाने के बाद भी वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए जिलाधिकारी को नहीं लिखा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2019), एडीजीएफटी, राजकोट ने वसूली कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए (दिसंबर 2019)।

सीईआईबी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अधिनिर्णयन आदेशों की प्रति न भेजने के परिणामस्वरूप कार्रवाई में देरी हुई जिससे राजस्व लंबित हुआ तथा उसके कारण राजस्व प्राप्ति में रुकावट आई और विभाग पर बोझ पड़ा। विभाग को इस संबंध में उचित निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

शेष मामलों के लिए उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2020) थे।

3.4.3.4 जांच/अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को मामलों का हस्तांतरण न करना

डीजीएफटी ने 31 दिसंबर, 2003 के परिपत्र[31] के अंतर्गत उन मामलों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिन्हें वंचित इकाई सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा गया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ ए(1) के अनुसार, आगे की जांच/अधिनिर्णयन के लिए डीईएल के अंतर्गत रखे गए मामलों को प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित करने के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

एडीजीएफटी, हैदराबाद में, ₹4.36 करोड़ के बचत शुल्क से जुड़े 13 मामलों, जिन्हे डीईएल सूची में रखा गया था, को जांच/अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया था कि कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के निर्देशों[32] दिनांक 26 जुलाई, 2004 के अनुसार, ईसीए कार्य की निगरानी लाइसेंसिंग अनुभाग द्वारा की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसने डीईएल के अंतर्गत मामलों को अधिनिर्णयन के लिए प्रवर्तन प्रभाग को हस्तांतरित नहीं करने के मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।

तथ्य यह था कि अधिनिर्णयन के लिए डीईएल मामलों के हस्तांतरण न करने से परिहार्य विलंब हुआ जिसमें ₹4.36 करोड़ का बचत शुल्क शामिल है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4 सीमा शुल्क कार्यालयों में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अभिन्न प्रक्रिया है, जो जोखिम को समाप्त करती है और प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और पर्याप्तता के बारे में तर्कपूर्ण विश्वसनीयता प्रदान करती है। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्धयन की प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एससीएन रजिस्टर, अधिनिर्णयन रजिस्टर, रिफंड

[31] एफ सं. 18/24/मुख्यालय/99-2000/ईसीए II, दिनांक 31 दिसंबर 2003

[32] ओएंडएम निर्देश संख्या 11/2004, दिनांक 26 जुलाई 2004

रजिस्टर, कॉल बुक, मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा में एससीएन और अधिनिर्णयन के संबंध में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण में कमियों को देखा गया।

3.4.4.1 डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) डेटाबेस को अद्यतित न करना

राजस्व विभाग द्वारा प्रवर्तन और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह, इसके आदान-प्रदान और समय पर उपयोग के लिए सीमा शुल्क अपराधों का एक पूरा डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से डीआईजीआईटी शुरू किया गया था। सीबीआईसी, जो बोर्ड के रूप में संदर्भित है, ने 28 मार्च 2018 और 2 अप्रैल 2018 के निर्देशों[33] के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया था कि 1 अप्रैल 2018 से, आसूचना एजेंसियों[34] द्वारा पाए गए अपराधों के लिए सभी एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश केवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल 'डीआईजीआईटी' के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए और सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को 13 जुलाई 2018 तक डीआईजीआईटी में लीगेसी डेटा की प्रविष्टि पूरी करनी थी। डीआईजीआईटी डेटाबेस को अद्यतित रखा जाना था ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह, इसके आदान-प्रदान और विभाग के प्रवर्तन और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने सभी आयुक्तालयों पर दबाव बढ़ाते हुए तय समयावधि में एससीएन जारी करने और अंतिम दिन तक देरी न करने को कहा। बोर्ड को डीआरआई के माध्यम से कार्य के पूरा होने की निगरानी करनी थी और डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन भी जारी करना था। यह भी कहा गया कि कार्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता को गंभीरता से देखा जाएगा।

नमूना जांच की गई 25 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 10 आयुक्तालयों[35] में आंशिक रूप से डीआईजीआईटी के माध्यम

[33] अनुदेश संख्या 5/2018 दिनांक 28/30/2018 और 06/2018 दिनांक 02/04/2018

[34] विशेष आसूचना जांच शाखा (एसआईआईबी), डॉक्स आसूचना यूनिट (डीआईयू), एयर आसूचना यूनिट (एआईयू), (सीमा शुल्क आंतरिक जांच एजेंसियां), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई),

[35] एनसीएच-मंगलुरु, चेन्नई (एयर) कस्टम्स, कोचीन (सागर) कस्टम्स, एसीसी (एक्सपोर्ट) -एनसीएच-दिल्ली, भुवनेश्वर कस्टम्स (प्रीवी), कस्टम्स (प्रीवी)), पटना, जेएनसीएच एनएस I, एनएस-II, एनएस-III और एनएस-IV, मुंबई

से एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी किए गए और नौ आयुक्तालयों[36] में डीआईजीआईटी के माध्यम से एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी नहीं किए गए। छह आयुक्तालयों[37] ने लेखापरीक्षा **(अनुबंध 5)** को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2020) कि यद्यपि लीगेसी डेटा की प्रविष्टि 31 जुलाई 2018 तक पूरी की जानी थी, ऐसा केवल तीन आयुक्तालयों[38] में किया गया था और 19 आयुक्तालयों में लीगेसी डेटा दिसंबर 2019 तक अद्यतित नहीं किया गया था। तीन आयुक्तालयों[39] ने लीगेसी डेटा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी।

इस विषय में बताए जाने पर सीमा शुल्क आयुक्तालय (निर्यात) नई दिल्ली, सीमा शुल्क (निवारक) पटना और जोधपुर ने बताया कि एससीएन और अधिनिर्णयन के आदेशों को डीआईजीआईटी डेटाबेस में दर्ज किया जा रहा था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2016-2019 के दौरान जारी किये गये एनसीएच, नई दिल्ली में 110 एससीएन में से केवल एक एससीएन, 13 अधिनिर्णयन आदेश, पटना में 68 मामले और जोधपुर में 167 मामले डीआईजीआईटी डेटाबेस में दर्ज किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क पारादीप, कोचीन (समुद्र) और कोलकाता (एयर) आयुक्तालय ने (जनवरी 2020) कहा कि तकनीकी मुद्दों के कारण डीआईजीआईटी में लीगेसी डेटा अपलोड नहीं किया जा सका और अधिकारियों की लॉगइन आईडी और पासवर्ड पूर्ण नहीं हो पाए हैं।

तथापि, सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर और लुधियाना ने कहा (मार्च 2020) कि 31 मार्च 2018 तक लीगेसी डेटा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपलोड किया जाएगा।

15 आयुक्तालयों[40] के उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

---

[36] सीमा शुल्क कॉम-अहमदाबाद, सीशु। कॉम-लुधियाना, कोचीन (एयर) कस्टम्स, एसीसी (आयात) एनसीएच-दिल्ली, इंदौर कस्टम कॉम, कस्टम कॉम हैदराबाद, सीशु। कॉम- विशाखापट्टनम, सीशु। कॉम (हवाई अड्डा) कोलकाता, और सीशु (प्रीवी) प. बंगाल

[37] सीमा शुल्क आयुक्तालय (मुंद्रा), (निवारक) (जोधपुर), एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो-बेंगलुरु, चेन्नई (सागर), (निवारक)) लखनऊ और नोएडा

[38] सीमा शुल्क आयुक्तालय- (लुधियाना), कोचीन (सागर) और (विशाखापत्तनम)

[39] सीमा शुल्क, आयुक्तालय-एसीसी और एयरपोर्ट (बेंगलुरु), मुंद्रा, कोचीन (एयर),

[40] सीमा शुल्क आयुक्तालय- एसीसी और हवाई अड्डे-बैंगलोर, आयात, एनसीएच, दिल्ली, मुंद्रा, विशाखापट्टनम, एनसीएच-मंगलौर, कोचीन (एयर), चेन्नई (एयर), चेन्नई (समुद्र), नोएडा (सीमा शुल्क),

सभी सीमा शुल्क क्षेत्र कार्यालयों द्वारा डीआईजीआईटी डेटाबेस का अद्यतन न करने से डीआईजीआईटी के कार्यान्वयन का उद्देश्य विफल हो गया। मंत्रालय न केवल 31 जुलाई 2018 तक निर्धारित लीगेसी डेटा की प्रविष्टि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलताओं पर ध्यान दे बल्कि दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नये मामलों की भी अप्रैल 2018 से दर्ज कराए तथा सुधारात्मक कार्रवाई करें।

डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

3.4.4.2 कॉल बुक मामलों में पाई गई अनियमितताएं

बोर्ड के संशोधित परिपत्र[41] में उन एससीएन को कॉल बुक में हस्तांतरित करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं, जहां विभाग ने अपील की हो, न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो, बोर्ड ने विशेष रूप से मामले को लंबित रखने और कॉल बुक में दर्ज करने का आदेश दिया हो, या मामला निपटान आयोग को भेजा गया हो। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां माननीय न्यायालय द्वारा इसमें शामिल मुद्दे पर निर्णय लिया गया है और न्यायालय के ऐसे आदेश को अंतिम रूप दिया गया है वहां ऐसे मामलों को कॉल बुक से बाहर ले जाया जाएगा और अधिनिर्णय कर लिया जाएगा।

सीमा शुल्क की 25 आयुक्तालयों में 286 कॉल बुक मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 07 आयुक्तालयों[42] में 8 मामले थे जिनका मौद्रिक मूल्य ₹28.93 करोड़ था, जिन्हें अप्रैल 2016 के बोर्ड के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में समय पर समीक्षा के अभाव में कॉल बुक में गलत तरीके से रखा गया था (अगस्त 2016 से मई 2019)।

ऐसे दो मामले नीचे वर्णित किये गये है:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली में, ₹81 लाख के लिए एक एससीएन मै. 'यू' न्यूज प्रिंट लिमिटेड को जारी किया (फरवरी 2018) जो अभी भी कॉल बुक में दर्शाया गया था (जनवरी 2020),

---

और जेएनसीएच-मुंबई के तहत चार आयुक्तालय (एनएस-I, एनएस-II, एनएस-III, एनएस-V) और सीमा शुल्क (निवारक) -लखनऊ, पश्चिम बंगाल की आयुक्तालय

[41] परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसंबर 1995 जैसा कि परिपत्र दिनांक 28 मई 2003, 26 दिसंबर 2014 और 26 अप्रैल 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।

[42] सीमा शुल्क आयुक्तालय-मुंद्रा, (आयात), दिल्ली, नोएडा, जेएनसीएच, मुंबई और कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी) भुवनेश्वर, पाराद्वीप सीमा शुल्क और लखनऊ

हालांकि निपटान आयोग ने जनवरी 2019 में अंतिम आदेश पारित किया था और पार्टी ने फरवरी 2019 तक सभी बकाया जमा कर दिया था।

(ii) इसी प्रकार, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच, मुंबई में, ₹1.38 करोड़ के लिए मै. 'वी' ऑटोमोबाइल्स और मै. 'डब्ल्यू' सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को जारी किए गए दो एससीएन (अक्टूबर 2015 और नवम्बर 2017) कॉल बुक में थे, यद्यपि निपटान आयोग ने अपने आदेश (जुलाई 2018) पारित किए थे।

कॉल बुक मामलों की अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप बोर्ड को गलत रिपोर्टिंग के साथ-साथ अधिनिर्णयन होने योग्य मामलों का अधिनिर्णयन भी नहीं हुआ।

यह विभाग के संज्ञान में लाया गया था (जनवरी/फरवरी 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4.3 मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर)/मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने परिपत्र संख्या 717/33/2003-सीएक्स दिनांक 23 मई, 2003 के माध्यम से सभी मुख्य कमिश्नरों/कमिश्नरों से अनुरोध किया था कि वे रिपोर्ट (एमटीआर/एमपीआर) भेजते समय विशेष रूप से लंबित मामलों और इससे जुड़े राजस्व से संबंधित आंकड़ों के संकलन में अत्यधिक सावधानी बरतें।

लेखापरीक्षा में चयनित 25 आयुक्तालयों में अभिलेखों की नमूना जांच की गई और 10 आयुक्तालयों[43] में अग्रलिखित विसंगतियाँ पाईं गईं:

क. एमपीआर में जारी किये गये एससीएन का न दर्शाया जाना

ख. एमपीआर में लंबित मामलों के प्रारम्भिक शेष और अंतिम शेष के बीच अंतर

ग. एमपीआर के विभिन्न भागों में डेटा का बेमेल होना

घ. एमपीआर के माध्यम से बोर्ड को जारी की गई एससीएन की गलत रिपोर्टिंग

यह इंगित किये जाने पर (नवंबर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने कहा (मार्च 2020) कि आयुक्तालय जनवरी, 2018 में बनाई गई थी और

[43] सीमा शुल्क कमिश्नरियां-मुंद्रा, (एयर पोर्ट एंड एयर कार्गो) बेंगलुरु, एनसीएच- मंगलुरु, कोचीन समुद्री बंदरगाह, (आयात) एनसीएच दिल्ली, इंदौर, नोएडा, कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी)। - लखनऊ, पटना और पाराद्वीप कस्टम हाउस-भुवनेश्वर,

तत्कालीन सीमा शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों को विभाजित करते हुए सीमा शुल्क आयुक्तालय के एमपीआर में कुछ विसंगतियां सामने आई थीं। वर्तमान में आंकड़े सही बताए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगति को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, एमपीआर और कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के बीच अभी भी विसंगतियां मौजूद हैं।

सहायक आयुक्त, पाराद्वीप डिवीजन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि इन मामलों में विसंगतियां मौजूद थीं क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर 2002 के दौरान सुरक्षात्मक एससीएन जारी किए गए थे और इन सभी मामलों को कॉल बुक में हस्तांतरित कर दिया गया था। 136 मामलों की केस फाइलें आसानी से उपलब्ध नहीं थीं/ट्रेस नहीं की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फाइलें गायब होने का यह मामला कभी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। तदनुसार, इस मामले में शामिल राजस्व की वसूली की संभावना कम रह गई थी इसलिए इसकी जांच की आवश्यकता है।

शेष आयुक्तालयों से आगे की प्रतिक्रिया और उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।

3.4.4.4 रजिस्टरों का रखरखाव

शुल्क के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए, विभाग आरंभ से लेकर अंतिम वसूली जैसे एससीएन जारी करना, इसका अधिनिर्णयन, मांग और इसकी वसूली के लिए शुल्क मांग मामलों की निगरानी करने के लिए विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करता है। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एससीएन (अपुष्ट मांग रजिस्टर), पुष्टि की गई मांग रजिस्टर, अभियोजन के मामलों की निगरानी के लिए 335जे रजिस्टर आदि की निगरानी के लिए एससीएन नियंत्रण रजिस्टर जैसे रजिस्टर अनुरक्षित करते हैं।

08 सीमा शुल्क आयुक्तालयों[44] में, यह देखा गया कि रजिस्टरों के रखरखाव में सभी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कोई समान प्रणाली नहीं अपनाई जा रही थी। रजिस्टरों में देखी गई विसंगतियों की कुछ श्रेणियां नीचे सूचीबद्ध की गई थीं:

क) एससीएन रजिस्टर बनाए नहीं गए थे या अधूरे थे

ख) पुष्ट मांग (ओआईओ) रजिस्टर बनाए नहीं गए थे या अधूरे थे

[44] सीमा शुल्क आयुक्तालय - (निर्यात) और (आयात) एनसीएच दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, नोएडा, कोचीन सागर, कॉम ऑफ कस्टम्स (प्रीवी) - जोधपुर और पटना,

ग) लंबित मामलों का सार तैयार नहीं किया जा रहा था

घ) कॉल बुक रजिस्टर नहीं रखा गया था

यह इंगित किये जाने पर (नवंबर 2019), सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) जोधपुर ने उत्तर दिया कि कार्यालय का अधिकतर कार्य कंप्यूटर पर रखा गया था और इसकी प्रति हस्तगत रूप से रजिस्टर में चिपकाई जाती है। यह केवल लिपिकीय त्रुटि के कारण है कि इसे संबंधित रजिस्टर में चिपकाया नहीं गया। हालांकि संबंधित स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्टर में प्रविष्टियां करते समय अधिक सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि एमपीआर जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियां रजिस्टर में कर दी जाये।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को 'उचित अनुपालन के लिए नोट कर लिया' आश्वासन के साथ स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, एसी/डीसी स्तर पर केंद्रीकृत एससीएन/ओआईओ रजिस्टर को भविष्य में अनुरक्षित करने के लिए कहा है ।

शेष आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.4.5 आरए में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

ओएंडएम अनुदेश संख्या 11/2004 दिनांक 27-7-2004, जारी करने के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन एवं ईसीए प्रभागों का पुनर्गठन किया गया है और ईसीए अनुभाग को अधिनिर्णयन के बाद की सभी गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया था। लाइसेंसिंग अनुभागों को एससीएन और अधिनिर्णयन जारी करने के और वसूली के लिए कदम उठाने के लिए चूककर्ताओं का विवरण ईसीए प्रभागों को अग्रेषित करना होगा।

(i) आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी न करना

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आरए, मुंबई में 132 मामले एससीएन जारी करने के लिए उपयुक्त थे लेकिन उक्त एससीएन जारी करने के लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण भी मिले, जहां फैक्टशीट तैयार करने के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश पारित नहीं किए गए।

ऐसा ही एक मामला नीचे बताया गया है:

एडीजीएफटी, मुंबई में, मोचन न किये गये ईपीसीजी लाइसेंसों के विश्लेषण से पता चला कि 132 ईपीसीजी ऐसे मामले थे जिनमें ₹130.56 करोड़[45] (बचत शुल्क राशि) का मौद्रिक मूल्य शामिल था, जहां एससीएन जारी किए गए थे, वहां पीएच किए गए थे और अधिनिर्णयन कार्रवाई के समापन के लिए फैक्ट शीट तैयार की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के समय पर (दिसंबर 2019) किसी अधिनिर्णयन आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। फैक्टशीट तैयार करने में भी 218 दिनों से 1213 दिनों तक का समय लगा था, जैसा कि तालिका 3.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.6: फैक्ट शीट तैयार करने के बाद भी ओआईओ का लंबित मुद्दा

दिनों की संख्या	शामिल लाइसेंस की संख्या	शामिल मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में) एफओबी
एक वर्ष तक	126	1,038.21
1-2 वर्ष	0	0
2 वर्ष से अधिक	6	6.29
कुल	**132**	**1,044.50**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, फैक्टशीट तैयार करने के बाद से नौ महीने से एक वर्ष के लिए ₹1,038.21 करोड़ के निर्यात मूल्य (एफओबी) से जुड़े 126 लाइसेंस लंबित थे। उपरोक्त ₹6.29 करोड़ के निर्यात मूल्य वाले छह लाइसेंसों से जुड़े मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, जिनमें अधिकतम तीन वर्ष से अधिक का लंबन है। इस तरह की देरी का कोई कारण या तर्क रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। ओआईओ के लिए फैक्ट शीट तैयार करने के बावजूद इतनी लंबी अवधि के लिए ओआईओ जारी न करने से निगरानी तंत्र की विफलता का संकेत मिलता है।

इसे विभाग (जनवरी 2020) के ध्यान में लाया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) रजिस्टरों और एमआईएस रिपोर्ट पर अवलोकन

रजिस्टरों के रखरखाव और एमआईएस रिपोर्ट की सटीकता की जांच से पता चला कि 12 आरए में से पांच आरए की नमूना जांच में निम्नलिखित कमियां हैं:

[45] शुल्क बचाया राशि = (₹1,044.50 करोड़ 8 से विभाजित)

क) 2016-17 से 2018-19 के दौरान जारी किए गए एससीएन और ओआईओ के लिए रजिस्टर दो आरए (कानपुर और कोलकाता) में अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

ख) दो आरए (जयपुर और बेंगलुरु) में यह देखा गया कि एमआईएस रिपोर्ट और लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए ओआईओ/एससीएन मामलों की सूची में क्रमश: 156 और 592 मामलों की विसंगतियां थी। आरए, जयपुर द्वारा सूचित मामलों में एमपीआर में आदि शेष और अंत शेष में विसंगतियां पाई गईं जबकि आरए, बेंगलुरु में एससीएन और अधिनिर्णयन मामलों में विसंगतियां पाई गईं।

ग) जेडीजीएफटी, कोचीन में, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान 34 एससीएन के अधिनिर्णयन में लगाए गए जुर्माने को एमआईएस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.4.5 आरए और सीमा शुल्क के बीच समन्वय की कमी

वित्त मंत्रालय ने अपने निर्देश एफ नंबर 609/119/2020-डीबीके दिनांक 18 जनवरी 2011 में बताया गया था कि कुछ सीमा शुल्क कार्यालयों ने सूचित किया था कि विदेशी मुद्रा की वसूली न होने के कई प्रतिअदायगी मामलों में, एससीएन वापस आ गये थे क्योंकि प्राप्तकर्ता/पता मौजूद नहीं था। इसके मद्देनजर, निर्देश में अपेक्षित था कि आयुक्तालय को आरए के साथ नियमित रूप से संपर्क करने और नियमित अंतराल या संयुक्त समीक्षा बैठकों में ऐसे निर्यातकों के नामों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके और डीजीएफटी/सीमा शुल्क को गलत पते प्रस्तुत करने के लिए उनके आईई कोड रद्द किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, परिपत्र संख्या 16/2017-सीशु दिनांक 2 मई 2017 में यह भी निर्देश दिया गया है कि 18 जनवरी 2011 के एमओएफ अनुदेश में निर्धारित संस्थागत तंत्र का उपयोग लाइसेंस/प्राधिकार धारक द्वारा ईओ को पूरा न करने के मामलों का अनुसरण करने के लिए किया जाना चाहिए।

3.4.5.1 यह देखा गया कि आरए और सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रस्तुत ईपीसीजी लाइसेंसों के मोचन की स्थिति में विसंगतियां थीं। सीमा शुल्क आयुक्तालयों-चेन्नई समुद्र, एसीसी बेंगलुरु और जेएनसीएच मुंबई में नमूना जांच से पता चला है कि 128 लाइसेंस मामलों में जहां ईओ की अवधि खत्म हो गई थी, मामलों की सूचना संबंधित आरए को नहीं दी गई थी। इसके

अतिरिक्त, 19 मामले सीमा शुल्क की ओर से बंद थे और आरए के पास लंबित थे।

कुछ मामले नीचे बताये गये हैं:

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालयों-चेन्नई समुद्र और एसीसी बेंगलुरु में, 19 ईपीसीजी लाइसेंसों में ₹24.35 करोड़ बचत शुल्क सहित, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बांड रद्द कर दिए गए थे और मामलों को आयुक्तालयों द्वारा बंद कर दिया गया था। संबंधित आरए के साथ इन लाइसेंसों को प्रति सत्यापित करने पर यह देखा गया कि ये लाइसेंस अभी भी मोचित नहीं किये गये थे।

संबंधित जेडीजीएफटी से मोचन आदेश प्राप्त किए बिना सीमा शुल्क विभाग द्वारा ईपीसीजी लाइसेंस का निरस्तीकरण नियमानुसार नहीं था। विभाग इन लाइसेंसों के लिए जेडीजीएफटी द्वारा जारी किसी भी कमी पत्र (डीएल)/एससीएन/अधिनिर्णयन आदेशों पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा जिसमें ईओ की पूर्ति न करने की दशा में आयात शुल्क की वसूली शामिल है।

उत्तर में सीमा शुल्क आयुक्तालय, एसीसी बेंगलुरु ने कहा कि:

क) एक मामले में विभाग ने स्वीकार किया कि एक भिन्न बांड गलती से बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, तत्काल मामले में आयातक ने ईओ पूरा कर लिया था और डीजीएफटी को ईओडीसी के लिए आवेदन किया था जो 10 मार्च 2020 को जारी किया गया था।

ख) एक अन्य मामले में, विभाग ने उत्तर दिया कि डीजीएफटी ने अपने ईमेल दिनांक 3 अक्टूबर 2019 के माध्यम से पुष्टि की कि मोचन पत्र जारी किया गया है।

ग) आयातक के अनुरोध के आधार पर, एक और मामले में 17 मार्च 2017 को गलत बॉन्ड बंद कर दिया गया था। हालांकि, आयातक ने ईओ को पूरा कर लिया था और कार्रवाई के लिए डीजीएफटी को एक पत्र (14.02.2020) भेजा था।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि प्रत्येक लाइसेंस के लिए गारंटी के रूप में एक अलग बांड निष्पादित किया जाता है। आयातक के अनुरोध पर एक अलग बांड गलत बाँड को रद्द करना, या ईओडीसी के बिना बाँड को रद्द करना यह दर्शाता है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित ईओ को पूरा करने की निगरानी के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक मामले में, जिसमें विभाग ने कहा कि

ईओडीसी जारी किया गया है, के सत्यापन पर यह देखा गया कि लाइसेंस से संबंधित विवरण डीजीएफटी के ईओडीसी डेटाबेस में (वेबसाइट, eodc.online) उपलब्ध नहीं थे।

तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बाद ही लाइसेंसधारक के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जो निगरानी प्रणाली की अपर्याप्तता को इंगित करता है।

अन्य आयुक्तालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (समुद्र) चेन्नई में, 57 ईपीसीजी लाइसेंसों के संबंध में, जिसमें ₹162.81 करोड़ बचत शुल्क राशि शामिल थी, जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई थी, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह देखा गया कि ये लाइसेंस आयुक्तालय के ईपीसीजी लाइसेंस मास्टर डेटा में उपलब्ध नहीं थे। प्रदत्त जानकारी गलत थी क्योंकि आईसीईएस प्रणाली में 10 मामलों की नमूना जांच से पता चला है कि इन लाइसेंसों का उपयोग आयात करने के लिए चेन्नई समुद्र सीमा शुल्क के माध्यम से किया गया था।

(iii) सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच मुंबई में, मै. 'एक्स' इंटरनेशनल (इंडिया) में ₹4.84 लाख के बचत शुल्क सहित एससीएन को अगस्त 2018 में अधिनिर्णयन दिया गया था; जबकि लाइसेंस को मुंबई के एडीजीएफटी ने दिसंबर 2016 में पहले ही मोचित कर दिया था।

इसी प्रकार, ₹43.40 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 11 मामलों में, एससीएन (जनवरी 2017 से फरवरी 2019) को सीमा शुल्क विभाग द्वारा 10 महीने से लेकर 36 महीने तक की अवधि से बंद नहीं किया गया था, यद्धपि पार्टियों ने या तो ईओडीसी और या एडीजीएफटी, मुंबई द्वारा जारी ईओ अवधि के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत किया था।

(iv) डीजीएफटी ने ईओडीसी निगरानी प्रणाली[46] शुरू की, जो पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध है, ताकि निर्यातकों को ईओडीसी जारी करने के संबंध में उनके आवेदन की स्थिति जानने में सुविधा हो सके।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, जेएनसीएच मुंबई में, ₹41.77 करोड़ से जुड़े 41 मामलों में, अगस्त 2017 से फरवरी 2019 के दौरान जारी किए गए एससीएन को सीमा शुल्क विभाग द्वारा बंद नहीं किया गया था। यद्यपि, डीजीएफटी

[46] ट्रेड नोटिस सं. 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018

के अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार मॉड्यूल के लिए ईओडीसी निगरानी प्रणाली के अनुसार ईओडीसी जारी किए जाने की बात कही गई थी। चूंकि, यह जानकारी पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध है, इसलिए सीमा शुल्क विभाग डीजीएफटी में ईओ की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकता था।

संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच ईओ निगरानी सूचनाओं के आदान-प्रदान के निर्देश/स्थायी आदेश होने के बावजूद कोई संस्थापित तंत्र नहीं है और विभाग स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करते रहे हैं।

आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

3.5 निष्कर्ष

एससीएन जारी करने और सीमा शुल्क आयुक्तालयों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा में पूर्व नोटिस परामर्श (पीएनसी) स्तर से अधिनिर्णयन आदेशों के जारी होने और समीक्षा आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही तक विभिन्न स्तरों पर अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अननुपालन का पता चला।

एक तरफ, लाइसेंस धारक को ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए एक सरल पत्र जारी करने के बजाय एससीएन जारी किए गए थे और दूसरी तरफ, एससीएन को निर्धारित अवधि के भीतर जारी करने में विफलता ने उन्हें कालातीत बना दिया। अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत विस्तारित समय को उन मामलों में भी लागू किया गया था, जहां एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत सामान्य अवधि के भीतर जारी किया जाना था।

सेज़ के मामले में, तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा एससीएन को ड्रॉप करने के साथ-साथ डीसी द्वारा एससीएन के जारी करने में हुई देरी को देखा गया।

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, एससीएन को जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के प्रावधानों के न होने में चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्यवाही करने के लिए आरए और डीसी के प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास विवेकाधिकार रहने दिया और सरकारी राजस्व

की वसूली में परिहार्य देरी हुई। आरए द्वारा एससीएन जारी करने में उल्लेखनीय देरी देखी गई हालांकि ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी जिसमें ऐसे भी मामले शामिल थे जहां ईओ अवधि, 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी।

एससीएन निर्धारित समय सीमा से बाद अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे जिसमें निर्धारित समय सीमा से बाद अधिकतम लम्बन 182 महीने का था बावजूद इसके कि एससीएन के अधिनिर्णयन की समय-सीमा अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। उन मामलों में भी जहां अधिनिर्णयन पूरा हो गया था, लंबित मामलों में 37 प्रतिशत मामले जो कुल राजस्व का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते है, काफी देरी थी व उनका अधिनिर्णयन 6 महीने से भी अधिक की देरी से हुआ। अनुमेय संख्या से परे पीएच दिया गया था और अंतिम पीएच के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी देखी गई थी, जिसके कारण राजस्व का परिहार्य अवरोधन हुआ। आरयूडी के अभाव में जोकि एससीएन जारी करने की एक बुनियादी आवश्यकता है, एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, पीएच के निर्धारण के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, यह देखा गया कि डीसी, संख्या की सीमा के बगैर, पीएच उपलब्ध करा रहे थे, जिससे अधिनिर्णयन में देरी हो रही थी।

जबकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया स्वय: ही देरी से त्रस्त थी, सीमा शुल्क आयुक्तालय और आरए दोनों में ही अधिनिर्णयन आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही में भी कमियां देखी गई।

डीआईजीआईटी को 1 अप्रैल 2018 से सीमा शुल्क अपराधों के एक पूर्ण डेटाबेस बनाने के उद्देश्य के साथ अनिवार्य बना दिया, जो आंशिक रूप से कार्यात्मक पाया गया था।

सीमा शुल्क आयुक्तालयों में महत्वपूर्ण निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में भी खामियों को देखा गया जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में डेटा संबंधी विसंगतियां, अपूर्ण एससीएन और पुष्ट मांग रजिस्टर । तथ्य शीट तैयार करने के बावजूद अधिनिर्णयन आदेश जारी न करने से आरए की शिथिल निगरानी स्पष्ट होती है।

सीमा शुल्क विभाग और आरए द्वारा प्रस्तुत निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) लाइसेंसों के मोचन की प्रास्थिति में विसंगतियों को देखा गया। यह भी देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग, डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी

प्रणाली जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, पर उपलब्ध निर्यात बाध्यता निर्वहन प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) विवरणों का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उन मामलों में भी एससीएन को बंद नहीं किया जा सका जहां डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, इओ निगरानी पर स्थायी आदेश और संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच सूचना साझा करने के बावजूद वहां कोई भी स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है और विभाग का स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करना जारी है।

सिफारिशें:

(i) ***मंत्रालय एफटीडीआर अधिनियम,* 1992 *में एससीएन जारी करने और स्थगित करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है***

(ii) ***एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर अधिनियम,*** 1992 ***में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।***

(iii) ***निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।***

(iv) ***अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।***

(v) ***डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।***

(vi) ***आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।***

(vii) ***जैसा कि लेखापरीक्षा ने केवल मामलों के एक नमूने की जाँच की है, विभाग अन्य सभी मामलों की भी जाँच कर सकता है और प्रणालीगत कमियों को पहचान सकता है।***